

परिशिष्ट -1.1

(संदर्भ अनुच्छेद 1.1; पृष्ठ 1)

राज्य के वित्तीय आंकड़े[§]

वित्तीय आंकड़े

चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) के सन्दर्भ में	सीएजीआर		सीएजीआर		वार्षिक वृद्धि		
	2010-11 से 2018-19		2014-15 से 2018-19		2018-19 से 2019-20		
	सामान्य	राजस्थान	सामान्य	राजस्थान	सामान्य	राजस्थान	
	श्रेणी राज्य		श्रेणी राज्य		श्रेणी राज्य		
(प्रतिशत में)							
क.	राजस्व प्राप्तियाँ	13.65	14.73	12.71	10.85	2.08	1.63
ख.	स्व-कर राजस्व	12.21	13.55	10.42	10.37	2.12	3.25
ग.	कर-भिन्न राजस्व	11.19	14.51	9.67	8.90	23.44	-15.53
घ.	कुल व्यय	13.87	17.85	12.22	13.92	4.09	3.16
	पूँजीगत व्यय	14.64	17.93	12.35	5.09	-3.86	-25.05
च.	शिक्षा पर राजस्व व्यय	11.58	16.52	9.37	15.61	11.81	-3.09
छ.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय	15.43	20.68	13.23	17.43	9.48	2.64
ज.	वेतन एवं भत्ते	10.78	16.60	10.35	20.65	9.51	-1.45
झ.	पेंशन	14.14	18.77	14.27	20.64	9.74	1.79

§ राज्य सरकार के वित्त लेखों पर आधारित वित्तीय आंकड़े ।

परिशिष्ट-1.2

(संदर्भ अनुच्छेद 1.4.2; पृष्ठ 9)

31 मार्च 2020 को राजस्थान सरकार की सारान्शिकृत वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयताएं	31.03.2019 को	31.03.2020 को
आंतरिक ऋण -	2,19,311.48	2,42,077.41
ब्याज वाले बाजार ऋण	1,37,266.92	1,68,858.92
बिना ब्याज वाले बाजार ऋण	0.08	0.08
भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	18.55	15.36
केंद्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जरी विशेष प्रतिभूतियां	15,408.32	13,823.56
अन्य संस्थानों से ऋण	66,617.61	59,379.49
मार्गोपाय अग्रिम	-	-
भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट	-	-
केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम -	13,927.40	17,302.50
वर्ष 1984-85 से पूर्व के ऋण	5.40	5.40
गैर-आयोजना ऋण	23.91	19.46
राज्य योजनागत योजनाओं के लिए ऋण	3,264.84	2,751.70
केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिए ऋण	0.29	0.05
केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए ऋण	4.28	11.31
राज्य/विधानमंडल वाले केंद्र शासित राज्यों के लिए अन्य ऋण	10,628.68	14,514.58
आकस्मिकता निधि	500.00	500.00
लघु बचतें, सामान्य भविष्य निधि, इत्यादि	47,478.08	51,468.62
जमायें	28,817.51	33,842.46
आरक्षित निधियां	5,551.37	9,881.68
प्रेषण शेष	-	-
योग	3,15,585.84	3,55,072.67
सम्पत्तियां	31.03.2019 को	31.03.2020 को
स्थायी परिसंपत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय-	1,88,108.83	2,02,806.46¹
कम्पनियों, निगमों इत्यादि के अंशों में निवेश	49,861.39	52,208.91
अन्य पूंजीगत परिव्यय	1,38,247.44	1,50,597.55
ऋण एवं अग्रिम-	23,262.49	9,847.92
विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	18,676.66	5,641.14

1. वर्ष के अंत तक सकल पूंजीगत व्यय में से ` 20.42 करोड़ (पूंजीगत विनिवेश) की प्रोफार्मा कमी के कारण वर्तमान वर्ष की पूंजीगत प्राप्तियाँ 'शून्य' दर्शायी गयी है।

सम्पत्तियां	31.03.2019 को	31.03.2020 को
अन्य विकासात्मक ऋण	4,586.85	4,208.56
सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	(-)1.02 ²	(-)1.78 ³
आरक्षित निधि निवेश	3,712.28	1,870.87
अग्रिम	3.21	3.21
प्रेषण शेष	2.05	10.37
उचंत एवं विविध शेष	206.65	120.15
रोकड़-	2,081.47	5,833.54
कोषालयों में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	(-) 12.27	(-) 26.91
रिजर्व बैंक के पास जमायें	(-) 64.45	49.03
विभागीय रोकड़ शेष	0.87	0.85
स्थायी अग्रिम	2.86	2.84
रोकड़ शेष निवेश	2,154.46	5,807.73
सरकारी लेखे पर घाटा-	98,208.86	1,34,580.15
(i) वर्तमान वर्ष का राजस्व घाटा	28,900.17	36,371.29
(ii) आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-
(iii) वर्ष के प्रारंभ में संचित घाटा	69,308.69	98,208.86
घटायें: वर्तमान वर्ष का राजस्व अधिशेष	-	-
घटायें: विविध घाटा	-	-
योग	3,15,585.84	3,55,072.67

परिशिष्ट 1.2 एवं 2.1 के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी

पूर्व वृत्ति विवरण पत्रों में दिए गये सारांशिकृत लेखे वित्त लेखाओं में दी गयी टिप्पणियों तथा स्पष्टीकरण के साथ पढ़े जावें। सरकारी लेखे मुख्यतः रोकड़ आधार पर रखे जाते हैं, सरकारी लेखे में घाटा, जैसा परिशिष्ट 1.2 में दर्शित है, वाणिज्यिक लेखांकन में उपाजित आधार के विपरीत, रोकड़ आधार पर स्थिति प्रदर्शित करता है। फलस्वरूप, देय अथवा प्राप्य मदें या मूल्य ह्रास अथवा स्टाक आंकड़ों में अंतर आदि जैसी मदें लेखाओं में दर्शित नहीं है। उचंत तथा विविध शेषों में, जारी किन्तु भुगतान न किये गए बैंक, राज्य की और से किये गए भुगतान तथा अन्य बकाया इत्यादि जिनका निपटान बाकी है, शामिल हैं। लेखाओं में दर्शाए आंकड़ों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा “रिजर्व बैंक के पास जमा” के अंतर्गत सूचित किये गये आंकड़ों के मध्य ₹ 19.23 करोड़ (जमा) का अंतर था। आगे, ₹ 5.31 करोड़ (जमा) का अंतर अभी भी बकाया है और समायोजन के अधीन है।

2. ऋणात्मक शेष जाँच के अधीन है।
3. ऋणात्मक शेष जाँच के अधीन है।

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1; पृष्ठ 19)

वर्ष 2019-20 में प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2018-19	2019-20	संवितरण	2018-19	2019-20		
					राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग
I. राजस्व प्राप्तियाँ	1,37,873.02	1,40,113.81	I. राजस्व व्यय	1,66,773.19	1,56,479.09	20,006.01	1,76,485.10
कर राजस्व	57,380.34	59,244.98	सामान्य सेवायें	54,364.06	56,141.54	44.75	56,186.29
			सामाजिक सेवायें	65,686.92	58,303.61	10,009.62	68,313.23
कर-भिन्न राजस्व	18,603.01	15,714.16	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	34,594.44	30,663.58	2,861.70	33,525.28
			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	11,362.32	9,929.61	1,732.02	11,661.63
संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा	41,852.35	36,049.14	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवासन एवं शहरी विकास	7,615.62	6,394.58	1,348.64	7,743.32
			सूचना एवं प्रसारण	152.14	90.15	-	90.15
आयोजना-भिन्न अनुदान	-	-	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण	1,501.17	975.37	779.81	1,755.18
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान	-	-	श्रम एवं श्रम कल्याण	598.68	930.43	2.01	932.44
			समाज कल्याण एवं पोषण	9,796.97	9,259.20	3,285.44	12,544.64
			अन्य	65.58	60.59	-	60.59
केंद्र एवं केंद्र प्रवर्तित आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	-	-	आर्थिक सेवायें	46,722.12	42,033.87	9,951.64	51,985.51
			कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियाँ	8,376.34	9,842.30	473.58	10,315.88
			ग्रामीण विकास	11,373.54	3,943.06	8,661.58	12,604.64
केंद्र प्रवर्तित योजनायें	13,316.88	14,966.05	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1.99	1.06	0.49	1.55

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2018-19	2019-20	संवितरण	2018-19	2019-20		
					राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग
			सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1,697.12	1,791.25	4.10	1,795.35
वित्त आयोग अनुदान	3,121.46	7,331.55	उर्जा	21,207.49	22,749.71	-	22,749.71
			उद्योग एवं स्वनिज	271.17	401.04	1.00	402.04
राज्यों/ विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य अंतरण/अनुदान	3,598.98	6,807.93	परिवहन	1,826.60	2,018.02	564.98	2,583.00
			विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	21.93	13.99	1.47	15.46
			सामान्य आर्थिक सेवायें	1,945.94	1,273.44	244.44	1,517.88
			सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान	0.09	0.07	-	0.07
योग	1,37,873.02	1,40,113.81	योग	1,66,773.19	1,56,479.09	20,006.01	1,76,485.10
II. अनुभाग-स्व को अग्रेषित किया गया राजस्व घाटा	28,900.17	36,371.29	II. अनुभाग-स्व को अग्रेषित किया गया राजस्व अधिशेष	-	-	-	-
योग	1,66,773.19	1,76,485.10	योग	1,66,773.19	1,56,479.09	20,006.01	1,76,485.10
III. स्थायी अग्रिम तथा रोकड़ शेष निवेश सहित प्रारंभिक रोकड़ शेष	9,376.99	5,793.75	III. भारतीय रिजर्व बैंक स प्रारंभिक ओवरड्राफ्ट	-	-	-	-
IV. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	20.13	20.42	IV. पूंजीगत परिव्यय	19,638.20	13,041.94	1,676.11	14,718.05
			सामान्य सेवायें	588.26	378.10	85.32	463.42
			सामाजिक सेवायें	6,912.75	4,086.47	1,403.21	5,489.68
			शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	825.22	399.30	366.77	766.07
			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	499.17	426.91	55.32	482.23
			जलापूर्ति, स्वच्छता,	5,183.67	3,081.69	825.32	3,907.01

प्राप्तियाँ	2018-19	2019-20	संवितरण	2018-19	2019-20		
					राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग
			आवासन एवं शहरी विकास				
			सूचना एवं प्रसारण	1.98	2.11	-	2.11
			अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण	281.72	82.64	139.99	222.63
			समाज कल्याण एवं पोषण	36.95	26.38	15.81	42.19
			अन्य	84.04	67.44	-	67.44
			आर्थिक सेवायें	12,137.19	8,577.37	187.58	8,764.95
			कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियाँ	405.86	166.41	40.18	206.59
			ग्रामीण विकास	231.50	375.04	-	375.04
			विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	278.36	65.19	38.03	103.22
			सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	2,411.52	2,251.26	38.40	2,289.66
			उर्जा	3,969.15	2,362.48	-	2,362.48
			उद्योग एवं स्वनिज	22.13	28.08	-	28.08
			परिवहन	4,161.48	3,129.85	70.95	3,200.80
			विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	1.06	0.78	-	0.78
			सामान्य आर्थिक सेवायें	656.13	198.28	0.02	198.30
			योग	19,638.20	13,041.94	1,676.11	14,718.05
V. ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	15,158.41	15,669.75	V. संवितरित ऋण एवं अग्रिम	1,113.09	-	-	2,255.18
विद्युत परियोजनाओं से	15,056.96	14,879.91	विद्युत परियोजनाओं के लिये	176.79	-	-	1,844.38
सरकारी कर्मचारियों से	0.07	0.76	सरकारी कर्मचारियों को	-	-	-	-

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2018-19	2019-20	संवितरण	2018-19	2019-20		
					राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग
अन्यों से	101.38	789.08	अन्यों को	936.30	-	-	410.80
VI. अधोनित राजस्व अधिशेष	-	-	VI. अधोनित राजस्व घाटा	28,900.17			36,371.29
VII. लोक ऋण प्राप्तियाँ	37,846.82	46,173.72	VII. लोक ऋण पुनर्भुगतान	16,914.80	-	-	20,032.69
बाह्य ऋण	-	-	बाह्य ऋण	-	-	-	-
मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अलावा आंतरिक ऋण	35,204.94	41,964.36	अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अलावा आंतरिक ऋण	16,137.32	-	-	19,198.43
मार्गोपाय अग्रिम के अन्तर्गत निवल लेनदेन	-	-	मार्गोपाय अग्रिम के अन्तर्गत निवल लेनदेन	-	-	-	-
ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेनदेन	-	-	ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेनदेन	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2,641.88	4,209.36	भारत सरकार को ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान	777.48			834.26
VIII. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-		VIII. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-	-	-
IX. आकस्मिकता निधि को अंतरित राशि	-		IX. आकस्मिकता निधि से व्यय	-	-	-	-
X. लोक लेखा प्राप्तियाँ	1,70,527.88	1,93,165.05	X. लोक लेखा संवितरण	1,60,570.22	-	-	1,79,741.07
लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	12,848.83	12,203.83	लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	7,465.97	-	-	8,213.29
आरक्षित निधियाँ	4,150.19	7,692.20	आरक्षित निधियाँ	3,583.29	-	-	3,361.89
उच्चत एवं विविध	7.69	115.23	उच्चत एवं विविध	64.50	-	-	28.73
प्रेषण	2,429.44	3,753.05	प्रेषण	2,420.02	-	-	3,761.37

प्राप्तियाँ	2018-19	2019-20	संवितरण	2018-19	2019-20		
					राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग
जमा एवं अग्रिम	1,51,091.73	1,69,400.74	जमा एवं अग्रिम	1,47,036.44	-	-	1,64,375.79
XI. भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम ओवरड्राफ्ट	-	-	XI. अंत में रोकड़ शेष	5,793.75	-	-	7,704.41
			कोषालयों में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	(-) 12.27	-	-	(-) 26.91
			रिजर्व बैंक के पास जमायें	(-) 64.45	-	-	49.03
			विभागीय रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम सहित	3.73	-	-	3.69
			रोकड़ शेष निवेश	2,154.46	-	-	5,807.73
			चिन्हित निवेश निधियां	3,712.28	-	-	1,870.87
योग	2,32,930.23	2,60,822.69	योग	2,32,930.23			2,60,822.69

स्रोत: वित्त लेखे।

परिशिष्ट-2.2

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.2.1; पृष्ठ 23)

राज्य सरकार के वित्तीय साधनों पर समय श्रेणी आंकड़ें

(₹ करोड़ में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
भाग क. प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	1,00,285	1,09,026	1,27,307	1,37,873	1,40,114
(i) कर राजस्व	42,713(42)	44,372(41)	50,605(40)	57,380(42)	59,245(42)
कृषि आय पर कर	- ⁴	- ⁴	- ⁴	- ⁴	-
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	-	-	12,137(24)	22,938(40)	21,954(37)
विक्री, व्यापार आदि पर कर	26,345(62)	28,558(64)	19,008(38)	14,791(26)	15,843(27)
राज्य उत्पाद शुल्क	6,713(16)	7,054(16)	7,276(14)	8,694(15)	9,592(16)
वाहनों पर कर	3,199(7)	3,623(8)	4,363(9)	4,576(8)	4,951(8)
मुद्रांक एवं पंजीकरण शुल्क	3,234(7)	3,053(7)	3,675(7)	3,886(7)	4,235(7)
भू-राजस्व	272(1)	315(1)	364(1)	290(1)	364(1)
वस्तु एवं यात्रियों पर कर	848(2)	803(2)	341(1)	51(-)	41(-)
अन्य कर	2,102(5)	966(2)	3,441(7)	2,154(3)	2,265(4)
(ii) कर-भिन्न राजस्व	10,928(11)	11,615(10)	15,734(12)	18,603(13)	15,714(11)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा	27,916(28)	33,556(31)	37,028(29)	41,853(30)	36,049(26)
(iv) भारत सरकार से सहाय्यतार्थ अनुदान	18,728(19)	19,483(18)	23,940(19)	20,037(15)	29,106(21)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	25	28	16	20	20
3. ऋण एवं अग्रिमों की वसुलियाँ	1,447	1,713	15,134	15,158	15,670
4. कुल राजस्व एवं गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	1,01,757	1,10,767	1,42,457	1,53,051	1,55,804
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	60,998	43,889	28,557	37,847	46,173
आन्तरिक ऋण (मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	59,249(97)	40,434(92)	27,000(95)	35,205(93)	41,964(91)
मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेनदेन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1,749(3)	3,455(8)	1,557(5)	2,642(7)	4,209(9)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	1,62,755	1,54,656	1,71,014	1,90,898	2,01,977
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	1,46,910	1,56,045	1,56,811	1,70,528	1,93,165
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	3,09,665	3,10,701	3,27,825	3,61,426	3,95,142
भाग ख. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	1,06,239	1,27,140	1,45,842	1,66,773	1,76,485
सामान्य सेवायें (ब्याज भुगतान सहित)	31,016(29)	39,203(31)	43,451(30)	54,364(33)	56,186(32)
सामाजिक सेवायें	43,349(41)	49,372(39)	53,064(36)	65,687(39)	68,313(39)
आर्थिक सेवायें	31,874(30)	38,565(30)	49,327(34)	46,722(28)	51,986(29)
सहाय्यतार्थ अनुदान एवं अंशदान	- ⁵	- ⁵	- ⁵	- ⁵	- ⁵
11. पूंजीगत व्यय	21,986	16,980	20,623	19,638	14,718
सामान्य सेवायें	441(2)	437(2)	527(3)	588(3)	463(3)
सामाजिक सेवायें	5,996(27)	6,214(37)	7,221(35)	6,913(35)	5,490(37)
आर्थिक सेवायें	15,549(71)	10,329(61)	12,875(62)	12,137(62)	8,765(60)
12. ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	36,602	12,965	1,334	1,113	2,255
13. कुल व्यय (10+11+12)	1,64,827	1,57,085	1,67,799	1,87,524	1,93,458
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	4,959	5,015	11,674	16,915	20,032
आन्तरिक ऋण (मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	4,434(89)	4,441(89)	11,041(95)	16,137(95)	19,198(96)
मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेनदेन	-	-	-	-	-
भारत सरकार को ऋण एवं अग्रिम	525(11)	574(11)	633(5)	778(5)	834(4)
15. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-	-	-	-
16. संवित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	1,69,786	1,62,100	1,79,473	2,04,439	2,13,490
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	-	-	-	-	-
18. लोक लेखा संवितरण	1,40,431	1,48,886	1,47,088	1,60,570	1,79,741
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	3,10,217	3,10,986	3,26,561	3,65,009	3,93,231

4. 2015-16: ₹ 0.01 लाख, 2016-17: मात्र ₹ 202, 2017-18: ₹ 0.02 लाख और 2018-19: ₹ 0.23 लाख।

5. 2015-16: ₹ 0.10 करोड़, 2016-17: ₹ 0.06 करोड़, 2017-18: ₹ 0.11 करोड़, 2018-19: ₹ 0.09 करोड़ और 2019-20: ₹ 0.07 करोड़.

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
भाग: ग घाटा					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+) (1-10)	(-) 5,954	(-) 18,114	(-) 18,535	(-) 28,900	(-) 36,371
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय अधिशेष (+) (4-13)	(-) 63,070	(-) 46,318	(-) 25,342	(-) 34,473	(-) 37,654
22. प्राथमिक घाटा (21+23)	(-) 51,062	(-) 28,641	(-) 5,622	(-) 12,778	(-) 14,011
भाग: घ अन्य आंकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में शामिल)	12,008	17,677	19,720	21,695	23,643
24. स्थानीय निकायों इत्यादि को वित्तीय सहायता	31,725	32,892	34,985	34,862	41,025
25. मार्गोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट का उपयोग (दिनों में)	-	-	-	-	04
मार्गोपाय अग्रिम का उपयोग (दिनों में)	-	-	-	-	04
ओवरड्राफ्ट का उपयोग (दिनों में)	-	-	-	-	-
26. मार्गोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	-	-	-	-	0.29
27 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) ^७	6,81,482	7,60,750	8,35,170 ^७	9,42,586 ^७	10,20,989 ^७
28 बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अंत में)	2,09,386	2,55,002	2,81,182	3,11,374	3,52,702
29. बकाया प्रतिभूतियां (वर्ष के अंत में) (ब्याज सहित)	53,620	51,159	61,761	70,430	80,631
30 दी गयी प्रतिभूतियों की अधिकतम राशि (वर्ष के अंत में)	1,61,236	1,18,161	1,12,057	1,31,026	1,44,676
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	169	197	247	279	329
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी	13,072	17,668	20,176	26,409	31,374
भाग ३: राजकोषीय स्थिति सूचक (प्रतिशतता में)					
I संसाधन गतिशीलता					
स्व-कर राजस्व/ जीएसडीपी	6.3	5.8	6.1	6.1	5.8
स्व कर-मिन्न राजस्व/ जीएसडीपी	1.6	1.5	1.9	2.0	1.5
केन्द्रीय हस्तांतरण/जीएसडीपी	6.8	7.0	7.3	6.6	6.4
II व्यय प्रबंधन (प्रतिशतता में)					
कुल व्यय/जीएसडीपी	24.2	20.6	20.1	19.9	18.9
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	164.4	144.1	131.8	136.0	138.1
राजस्व व्यय/कुल व्यय	64.5	80.9	86.9	88.9	91.2
सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय/कुल व्यय	26.3	31.4	31.6	35.0	35.3
आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय/कुल व्यय	19.3	24.6	29.4	24.9	26.9
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	13.3	10.8	12.3	10.5	7.6
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	13.1	10.5	12.0	10.2	7.4
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (अधिशेष+)/ जीएसडीपी	(-) 0.9	(-) 2.4	(-) 2.2	(-) 3.1	(-) 3.6
राजकोषीय घाटा / जीएसडीपी	(-) 9.2	(-) 6.1	(-) 3.0	(-) 3.7	(-) 3.7
प्राथमिक घाटा (अधिशेष +)/ जीएसडीपी	(-) 7.5	(-) 3.8	(-) 0.7	(-) 1.4	(-) 1.4
राजस्व घाटा/ राजकोषीय घाटा	9.4	39.1	73.1	83.8	96.6
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन					
राजकोषीय देयताएं/ जीएसडीपी	30.73	33.52	33.67	33.03	34.55
राजकोषीय देयताएं /RR	208.8	233.9	220.9	225.8	251.7
ऋण मोचन (मूलधन + ब्याज)/ ऋण प्राप्तियाँ	75.0	86.1	96.5	95.9	92.6
V अन्य राजकोषीय स्थिति सूचक					
निवेश पर प्रतिलाभ	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1
वित्तीय परिसंपत्तियाँ / देयताएं	0.85	0.80	0.76	0.69	0.62

स्रोत: वित्त लेखे।

टिप्पणी: कोष्ठक में संख्या प्रत्येक उप-शीर्ष का योग से प्रतिशत (पूर्णांक) प्रदर्शित करती है।

७ स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार।

संशोधित अनुमान-III

संशोधित अनुमान-I

\$ अग्रिम अनुमान

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

परिशिष्ट-2.3

(संदर्भ अनुच्छेद 3.1; पृष्ठ 79)

ऋण की शब्दावली

मद	अर्थ क्या है
मार्गोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)	यह केन्द्र और राज्यों दोनों के लिए सुविधा है जो कि रिजर्व बैंक से उधार लेकर अपनी प्राप्तियों और व्यय के नकदी प्रवाह में अस्थायी बेमेल को सही करने में सहायता करता है। इस तरह के अग्रिमों को अग्रिम लेने की तारीख से तीन माह की अवधि से पूर्व नहीं चुकाया जाना चाहिए। रिजर्व बैंक ने कोविड 19 से (31 मार्च 2021 तक) निपटने के लिए मार्गोपाय अग्रिम की सीमा में 60 प्रतिशत अतिरिक्त की घोषणा की।
ओवर ड्राफ्ट	सरकारों को उनकी मार्गोपाय अग्रिम से अधिक मात्रा में राशि निकालने की अनुमति दी है। कोई भी राज्य एक निश्चित अवधि से अधिक के लिए आरबीआई के साथ ओवर ड्राफ्ट नहीं चला सकता है। एक राज्य 14 से 21 लगातार कार्य दिवसों और एक तिमाही के दौरान 36 से 50 कार्य दिवसों तक ओवर ड्राफ्ट में रह सकता है।
सरकारी प्रतिभूतियाँ	एक सरकारी प्रतिभूति (सेक्शन-जी) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक पारम्परिक साधन है। ऐसी प्रतिभूतियाँ अल्प कालिक (आमतौर पर एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता के साथ सरकारी बांड या दिनांकित प्रतिभूतियाँ कहा जाता है) होती है। भारत में केन्द्र सरकार, ट्रेजरी बिल और बांड या दिनांकित प्रतिभूतियाँ दोनों को जारी करती है, जबकि राज्य सरकार केवल बांड या दिनांकित प्रतिभूतियों को जारी करती है, जिन्हें राज्य विकास ऋण (एसडीएल) कहा जाता है
टी-बिल	ट्रेजरी बिल केन्द्र सरकार द्वारा जारी अल्पकालिक प्रतिभूतियाँ हैं। उनकी परिपक्वता अवधि एक वर्ष तक होती है। इन प्रतिभूतियों को छूट दर पर बेचा जा सकता है और इसका भुगतान अंकित मूल्य पर किया जाता है, जो कि निवेशक कैसे अपना पैसा बनाते हैं। वर्तमान में सक्रिय टी बिल-91 दिनों के टी-बिल, 182 दिनों के टी-बिल और 364 दिनों के टी-बिल हैं।
टी-नोट्स	ट्रेजरी नोट्स ट्रेजरी बिलों की तुलना में लम्बी परिपक्वता अवधि की सरकारी प्रतिभूतियाँ हैं। जिनकी परिपक्वता अवधि दो, तीन, पाँच, सात और 10 साल हो सकती है। ब्याज का भुगतान हर छः माह में किया जाता है।
टी-बांड	ट्रेजरी बांड 30 साल की परिपक्वता अवधि के साथ दीर्घकालिक निवेश है। ब्याज का भुगतान हर छः माह में किया जाता है।

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ अनुच्छेद 3.1; पृष्ठ 79)

बजट संबंधित शब्दों की शब्दावली

1. वर्ष के 'लेखे' या 'वास्तविक' – 1 अप्रैल से शुरू होने वाले और 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों और संवितरणों की मात्राएँ हैं, जो अन्तिम रूप से लेखा प्राधिकारी की पुस्तकों में दर्ज की गई है (जैसा कि नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित है)। अनंतिम लेखों से तात्पर्य अनअंकेक्षित लेखों से है।
2. योजना, प्रस्ताव या कार्य की 'प्रशासनिक स्वीकृति' -व्यय के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई औपचारिक स्वीकृति है। जिसे बजट में निधियों के प्रावधान के साथ लिया गया, यह उस विशेष वर्ष के दौरान कार्य के लिये वित्तीय स्वीकृति के रूप में कार्य करता है जिसमें प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है।
3. 'वार्षिक वित्तीय विवरण'-जिसे बजट के रूप में भी जाना जाता है, का मतलब संसद/राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी गई प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए केन्द्र/राज्य सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है।
4. 'विनियोग'- का अर्थ है संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा प्राधिकृत राशि जो विनियोग की विभिन्न प्राथमिक इकाई या उसके हिस्से के अन्तर्गत व्यय के लिए संवितरण अधिकारी द्वारा निपटान में रखी जाती है।
5. 'प्रभारित व्यय' – का अर्थ है कि ऐसा व्यय जो संविधान के प्रावधानों के तहत विधानमंडल के मत हेतु प्रस्तुत नहीं किया जाना है।
6. 'भारत/राज्य की समेकित निधि'- संघ/राज्य सरकार के सभी राजस्व, इसके द्वारा एकत्र किये गये ऋण और भारत/राज्य के समेकित निधि से ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु प्राप्त समस्त राशि से है। इस कोष से राशि को कानून के अनुसार और संविधान में दिए गए तरीके के अलावा विनियोजित नहीं किया जा सकता है।
7. 'आकस्मिकता निधि'- एक अग्रदाय/पेशगी की प्रकृति के रूप में है। आकस्मिकता निधि का उद्देश्य कार्यकारी/सरकार को वर्ष के दौरान ऐसे अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिये अनुमत्य है जिनका संसद/विधानसभा द्वारा प्रधिकृतिकरण लम्बित है, को अग्रिम प्रदान करना है। आकस्मिकता निधि से आहरित राशि की अनुपूरक मांग के माध्यम से संसद/विधानसभा के अनुमोदन के पश्चात प्रतिपूर्ति की जाती है।
8. 'नियंत्रण अधिकारी (बजट)'- का अर्थ है कि एक अधिकारी जिसे विभाग द्वारा व्यय को नियंत्रित करने और/या राजस्व के संग्रह की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इस शब्द में विभागाध्यक्ष और प्रशासक भी शामिल है।
9. 'आहरण एवं संवितरण अधिकारी' (डी.डी.ओ)-का अर्थ है कार्यालयाध्यक्ष तथा किसी भी अन्य अधिकारी जिसे राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा बिलों के आहरण तथा राज्य सरकार की ओर से भुगतान करने हेतु नामित किया गया है। इस शब्द में विभागाध्यक्ष भी शामिल हो सकता है जहाँ वह स्वयं ऐसे कार्य का निर्वहन करता है।
10. 'आधिक्य अनुदान' – आधिक्य अनुदान का अर्थ है कि मूल/अनुपूरक अनुदान के माध्यम से अनुमत किये गये प्रावधान से अधिक और ज्यादा व्यय की राशि, जिसे संविधान के अनुच्छेद 115/205 के अन्तर्गत संसद/विधानसभा के द्वारा आधिक्य अनुदान के नियमन की आवश्यकता होती है।

11. 'नई सेवा'- संविधान के अनुच्छेद 115 (1) (a)/ 205 (1)(a) के अनुसार नई सेवा का अर्थ है एक नई गतिविधि या निवेश के नये रूप सहित एक नीतिगत निर्णय से उत्पन्न होने वाला व्यय जिसे पूर्व में संसद/विधानसभा के संज्ञान में नहीं लाया गया।
12. 'सेवा का नया साधन'— का अर्थ है कि मौजूदा गतिविधि में महत्वपूर्ण विस्तार से उत्पन्न होने वाले अपेक्षाकृत अधिक व्यय से है।
13. 'लोक लेखा'- का अर्थ संविधान के अनुच्छेद 266(2) में संदर्भित लोक लेखा से है। प्राप्तियां और संवितरण जैसे कि जमा, आरक्षित निधि, प्रेषण आदि जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं होती है, लोक लेखा में शामिल होती है। लोक लेखा से संवितरण संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं है, क्योंकि वे भारत/राज्य की समेकित निधि से जारी किया गया धन नहीं हैं।
14. 'पुनर्विनियोजन'- का अर्थ है किसी अनुदान/प्रभारित विनियोग के अन्तर्गत विनियोग की एक इकाई जहाँ प्रत्याशित बचत है से दूसरी इकाई के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्तान्तरण से है।
15. 'संशोधित अनुमान'- एक वित्तीय वर्ष के लिए संभावित प्राप्तियों या व्यय का अनुमान है जो उस वर्ष के लिए जिसमें पहले से दर्ज किये गए लेन देनों के सन्दर्भ में और पहले से जारी आदेशों के अनुसरण में शेष वर्ष के लिए पूर्वानुमान किये गए हैं।
16. 'अनुदानों के लिए अनुपूरक माँग' — विधायिका के समक्ष रखने से पूर्व अनुदानों के लिए अनुपूरक माँगों का अर्थ है उस वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण में प्राधिकृत व्यय से ऊपर और अधिक एक वित्तीय वर्ष के संबंध में ओर अधिक आवश्यक व्यय की अनुमानित राशि दिखाने से है। अनुपूरक की माँग टोकन, तकनीकी या मूल/नगदी हो सकती है।
 - अ) नगद अनुपूरक मूल बजट प्रावधानों से अधिक है और ऊपर है तथा माँग/अनुदान के लिए आवंटन में वृद्धि का परिणाम है। इसे अन्तिम उपाय के रूप में और उचित परिश्रम के बाद प्राप्त किया जाना चाहिए। वर्तमान में, इस पद्धति का अनुसरण राज्य द्वारा किया जाता है।
 - ब) प्रत्येक माँग के चार खण्ड होते हैं अर्थात् राजस्व दत्तमत, राजस्व प्राभारित, पूंजीगत दत्तमत और पूंजीगत प्रभारित। तकनीकी अनुपूरक राज्य विधानमंडल की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद, किसी भी अन्य खण्ड/अनुभाग के लिए किसी एक खण्ड/अनुभाग की बचत का उपयोग करने की अनुमति देता है।
 - स) टोकन अनुपूरक अनुदान के उसी खण्ड के तहत बचत के उपयोग की अनुमति देता है।
17. 'मुख्य शीर्ष'- राज्य की प्राप्तियों और संवितरणों को दर्ज करने और वर्गीकृत करने के उद्देश्य के लिए एक मुख्य खाता है। एक मुख्य शीर्ष, विशेष रूप से, समेकित निधि के तहत आने वाला, सामान्यतः सरकार के एक कार्यकलाप जैसे कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का मेल खाता है।
18. 'उप मुख्य शीर्ष'- का अर्थ है एक मुख्य शीर्ष और उसके नीचे उपशीर्ष के बीच दर्शाये गये मध्यवर्ती लेखाशीर्ष से है, जब उप शीर्ष अधिक होते हैं तो उन्हें इस मध्यवर्ती लेखाशीर्ष के अन्तर्गत आसानी से एक साथ समूहीकृत किया जा सकता है।

19. 'लघु शीर्ष'- का अर्थ है एक प्रमुख शीर्ष या एक उप प्रमुख शीर्ष के अधीनस्थ शीर्ष से है। मुख्य शीर्ष के अधीनस्थ एक लघु शीर्ष मुख्य शीर्ष द्वारा दर्शाये गये कार्यकलाप के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक कार्यक्रम की पहचान करता है।
20. 'उप-शीर्ष'- का अर्थ है लघु शीर्ष के अधीन अगले लेखे की इकाई है। जो कि लघु शीर्ष या कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना या संगठन को सामान्यतया दर्शाती है।
21. 'मुख्य कार्य'- का अर्थ है मूल कार्य जिसकी अनुमानित लागत विभागीय शुल्कों के अतिरिक्त राशि सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित राशि से अधिक होती है।
22. 'लघु कार्य'- का अर्थ है मूल कार्य जिसकी अनुमानित लागत विभागीय शुल्कों के अतिरिक्त राशि सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित राशि से अधिक होती है।
23. 'संशोधित अनुदान या विनियोग'- का अर्थ है किसी विनियोग के उप शीर्ष को आवंटित राशि जो कि पुनर्विनियोजन या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त स्वीकृत या अनुपूरक अनुदान की स्वीकृति के बाद प्राप्त होती है।
24. 'अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोग'- का अर्थ है उस वर्ष के विनियोग अधिनियम में पूर्व में शामिल राशि से अधिक व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष के अध्ययन के दौरान विनियोग विधेयक में शामिल प्रावधान है।
25. 'नये व्यय की अनुसूची'- का अर्थ है नये व्यय हेतु आगामी वर्ष के बजट में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तावित मदों का विवरण है।
26. 'टोकन मांग'- का अर्थ है कि विधानसभा हेतु एक मामूली या टोकन राशि की मांग की जाती है। उदाहरण के लिये यह स्वीकृत बजट अनुदान में से बचत से नयी सेवा हेतु सम्पूर्ण व्यय को पूरा करने के लिये प्रस्ताव है।
27. 'सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर'- ब्याज भुगतान/ (पूर्ववर्ती वर्ष की राजकोषीय देयताओं + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताओं की राशि/2)*100

परिशिष्ट-3.2

(संदर्भ अनुच्छेद 3.3.2; पृष्ठ 84)

निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन (जहाँ पुनर्विनियोजन एवं अंतिम आधिक्य/बचतें ₹ एक करोड़ से अधिक थीं)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान				वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य(+) बचत (-)
			मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	योग		
निधियों का अपर्याप्त पुनर्विनियोजन								
1	16-पुलिस	2055-109-11-01	3369.58	61.70	(-) 141.11	3290.16	3288.79	(-) 1.37
2	21-सड़कें एवं पुल	5054-03-337-05	519.38	0	(-) 300.09	219.29	215.83	(-) 3.46
3	27-पेयजल योजना	4215-01-102-79	67.86	0	(-) 50.96	16.9	15.86	(-) 1.04
		2215-01-102-01	1617.35	50.53	(-) 116.63	1551.25	1550.17	(-) 1.08
4	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	2202-02-107-06-02	68.00	0	(-) 8.52	59.48	56.45	(-) 3.03
5		4215-01-796-01-16	31.06	0	(-) 4.48	26.58	25.22	(-) 1.36
6	34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245-01-800-03-05	900	0	(-) 825.04	74.96	61.37	(-) 13.59
7		2245-01-800-03-06	645.52	0	(-) 14.22	265.56	246.57	(-) 18.98
निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन								
8	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	4700-34-796-01	28.00	0	(+) 1.36	29.36	22.86	(-) 6.51
9	46-सिंचाई	4700-34-001-01-01	121.08	0	(+) 5.50	126.58	98.52	(-) 28.06
10	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु	4215-01-789-01-45	0.50	0	(+) 1.95	2.45	(-) 0.51	(-) 2.96
11	विशिष्ट संघटक योजना	4700-34-789-01	50.92	0	(+) 1.32	52.24	47.64	(-) 4.6
निधियों का अत्यधिक पुनर्विनियोजन								
12	7-निर्वाचन	2015-105-01	245.27	0	(+) 12.87	258.14	256.32	(-) 1.82
13	12-अन्य कर	2030-02-102-01-01	12.30	0	(+) 7.05	19.35	15.6	(-) 3.75
14	15-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071-01-105-01-01	2528.6	0	(+) 20.87	2549.47	2534.18	(-) 15.29
15	21-सड़कें एवं पुल	5054-04-800-02-01	712.83	0	(+) 71.14	783.97	782.77	(-) 1.20
16		3054-80-797-03	750.00	0	(-) 43.69	0	415.17	(+) 415.17
17	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	4217-60-050-03	0.12	0	(+) 22.27	22.39	19.35	(-) 3.04
18	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	2235-60-196-02-03	534.48	0	67.82	602.3	584.44	(-) 17.86
19	33-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2235-60-196-02-01	2877.44	0	(+) 284.93	3162.37	3130.78	(-) 31.59
20	34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245-02-114-09-01	30.00	0	(+) 345.24	375.24	372.52	(-) 2.72
21		2245-02-114-10-01	30.00	0	(+) 131.15	161.15	160.1	(-) 1.05
22		2245-02-114-11-01	0	24.45	(+) 98.11	122.56	121.47	(-) 1.10
23	41-सामुदायिक विकास	2515-198-33-01	2197.29	358.40	(+) 905.84	3461.53	3459.47	(-) 2.06
24	46-सिंचाई	2700-01-001-03	24.9	0	(+) 1.68	26.58	25.14	(-) 1.44
25		2700-80-800-02-01	29.02	0	(+) 2.89	31.91	30.56	(-) 1.35
26	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2225-01-196-13	60.00	0	(+) 14.86	74.86	71.83	(-) 3.03
27		2225-01-789-01	437.32	0	(+) 81.10	518.42	513.05	(-) 5.37
28		2235-60-196-02-02	682.68	0	(+) 44.27	726.95	708.61	(-) 18.34
29		2235-60-196-03-02	316.40	0	(+) 22.88	339.28	336.73	(-) 2.55
30		4700-32-789-01	99.00	0	(+) 8.98	107.98	105.58	(-) 2.40

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट-3.3

(संदर्भ अनुच्छेद 3.3.3; पृष्ठ 85)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण-पत्र जहाँ बचतें कुल प्रावधानों में से ₹ 100 करोड़ से अधिक की रही।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संख्या एवं अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	योग	वास्तविक	बचतें	अभ्यर्पण	अभ्यर्पण के आलावा बचतें
	राजस्व प्रभारित							
1	ब्याज अदायगियां	23,132.65	626.39	23,759.04	23,643.27	115.77	113.31	(-)2.46
	राजस्व दत्तमत							
2	6-न्याय प्रशासन	1,142.95	0.00	1,142.95	952.66	190.29	189.95	(-) 0.34
3	7-निर्वाचन	618.21	0.00	618.21	469.44	148.77	146.33	(-) 2.44
4	8-राजस्व	836.54	0.00	836.54	712.18	124.36	124.18	(-) 0.18
5	15-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	22,567.68	0.00	22,567.68	20,759.76	1,807.92	1,735.77	(-) 72.15
6	16-पुलिस	6,362.99	74.40	6,437.39	6,169.33	268.06	272.14	(+) -4.08
7	19-लोक निर्माण कार्य	556.19	0.00	556.19	442.64	113.55	113.27	(-) 0.29
8	21-आवास	2,528.34	63.87	2,592.21	2,217.59	374.62	939.42	(+) 564.80
9	23-श्रम तथा रोजगार	1,033.97	0.00	1,033.97	893.64	140.33	140.30	(-) 0.03
10	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	32,286.18	0.00	32,286.18	28,544.98	3,741.20	3,738.26	(-) 2.92
11	26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	10,189.19	95.99	10,285.18	9,593.02	692.15	690.23	(-) 1.93
12	27-पेयजल योजना	3,999.86	50.53	4,050.39	3,628.51	421.88	419.23	(-) 2.65
13	28-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	645.24	0.00	645.24	431.45	213.79	213.79	(-) 0.00
14	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	4,916.82	0.00	4,916.82	4,016.24	900.58	900.51	(-) 0.07
15	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	14,109.46	0.00	14,109.46	12,589.35	1,520.11	1,491.03	(-) 29.08
16	33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	7,942.84	0.00	7,942.84	7,476.66	466.17	424.25	(-) 41.92
17	34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत	5,019.99	24.45	5,044.44	3,826.68	1,217.76	1,135.95	(-) 81.81
18	37-कृषि	2,502.34	0.00	2,502.34	2,168.48	333.86	333.72	(-) 0.14
19	39-पशुपालन एवं चिकित्सा	1,696.20	0.00	1,696.20	1,535.16	161.04	160.90	(-) 0.14
20	41-सामुदायिक विकास	5,947.43	358.41	6,305.84	5,537.12	768.72	766.47	(-) 2.25
21	42-उद्योग	428.64	0.00	428.64	327.44	101.20	101.03	(-) 0.17
22	46-सिंचाई	1,984.17	34.60	2,018.77	1,853.53	165.24	139.35	(-) 25.89
23	48-विद्युत	17,418.43	0.00	17,418.43	15,312.61	2,105.82	2,105.82	(-) 0.00
24	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	16,697.55	0.00	16,697.55	14,669.47	2,028.08	1,992.29	(-) 35.79

क्र. सं.	संख्या एवं अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	योग	वास्तविक	बचतें	अभ्यर्पण	अभ्यर्पण के आलावा बचतें
	पूंजीगत दत्तमत							
25	19-लोक निर्माण कार्य	805.24	0.00	805.24	422.12	383.12	379.75	(-) 3.37
26	21-सड़कें एवं पुल	3,759.48	0.00	3,759.48	3,299.51	459.97	491.69	(+) 31.72
27	22-क्षेत्र का विकास	268.05	0.00	268.05	131.38	136.67	136.42	(-) 0.25
28	23-श्रम तथा रोजगार	31.00	0.00	31.00	-0.44	31.44	31.00	(-) 0.44
29	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	539.22	62.00	601.22	495.24	105.99	105.99	(-) 0.00
30	27-पेयजल योजना	3,244.50	0.00	3,244.50	2,221.98	1,022.52	983.57	(-) 38.95
31	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	1,300.87	0.00	1,300.87	811.25	489.62	454.11	(-) 35.51
32	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	3,190.76	0.00	3,190.76	2,552.84	637.93	628.12	(-) 9.80
33	37-कृषि	246.80	0.00	246.80	118.39	128.41	112.37	(-) 16.04
34	46-सिंचाई	1,866.58	30.29	1,896.87	1,635.34	261.53	223.69	(-) 37.84
35	48-विद्युत	2,787.48	0.00	2,787.48	2,570.76	216.72	216.72	(-) 0.00
36	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	4,178.83	0.00	4,178.83	3,194.20	984.63	966.66	(-) 17.97
	योग	2,06,782.67	1,420.92	2,08,203.59	1,85,223.78	22,979.81	23,117.59	(-) 137.78

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट-3.4

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.3.3; पृष्ठ 89)

₹ एक करोड़ एवं अधिक की अनभ्यर्पित बचतों का विवरण

(₹ करोड़ में)

अनुदान का नाम	बचतें	अभ्यर्पित राशि	अनअभ्यर्पित राशि
राजस्व प्रभारित			
2049-ब्याज अदायगियां	115.78	113.31	2.47
राजस्व दत्तमत			
7-निर्वाचन	148.77	146.33	2.44
12-अन्य कर	97.81	93.95	3.86
15-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	1,807.92	1,735.77	72.15
24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	3,741.19	3,738.26	2.93
26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य एवं सफाई	692.15	690.23	1.92
27-पेयजल योजना	421.88	419.23	2.65
30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	1,520.11	1,491.03	29.08
33-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	466.17	424.25	41.92
34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत	1,217.76	1,135.95	81.81
41-सामुदायिक विकास	768.72	766.47	2.25
46-सिंचाई	165.24	139.35	25.89
51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2,028.08	1,992.29	35.79
पूंजीगत दत्तमत			
15- पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	10.44	4.19	6.25
16-पुलिस	67.09	65.35	1.74
19-लोक निर्माण कार्य	383.12	379.75	3.37
26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	78.02	76.52	1.50
27-पेयजल योजना	1,022.53	983.57	38.95
29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	489.61	454.11	35.50
30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	637.93	628.12	9.81
37-कृषि	128.41	112.37	16.04
46-सिंचाई	261.53	223.69	37.84
51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	984.63	966.66	17.97
योग	17,254.89	16,780.75	474.14

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट-3.5

(संदर्भ अनुच्छेद 3.4.1; पृष्ठ 91)

एकमुश्त प्रावधानों का विवरण (जहाँ अभ्यर्पण ₹ 5 करोड़ से अधिक था)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	अनुदान	लेखाशीर्ष	प्रावधान	व्यय
1.	19-लोक निर्माण कार्य	4059.80.051.03.01 नवीन उच्च न्यायालय भवन जोधपुर (आरएसआर डीसीसी के माध्यम से)	36.50	15.75
2.		4059-80-051-03-03 अन्य न्यायिक भवन	173.99	68.14
3.		4059-80-051-05-01 मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से	51.59	23.62
4.		4210-03-105-11-90 निर्माण कार्य	166.67	81.31
5.	20-आवास	4216-01-700-01-90 निर्माण कार्य (मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से)	64.86	9.08
6.	21-सड़के एवं पुल	5054-03-337-05 केन्द्रीय सड़क निधि से पोषित सड़कें	519.38	215.83
7.	22-क्षेत्र का विकास	4705-102-01-01 भूमि विकास	34.79	5.33
8.		4705-107-01-03 भूमि विकास कार्य (गंग नहर परियोजना क्षेत्र) फेज-II	37.2	10.62
9.	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	4202-01-202-17-01 माध्यमिक विद्यालयों के तहत निर्माण	60	15
10.		4202-01-202-18-01 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण	122.50	28.57
11.	26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	4210-01-110-07-01 निर्माण कार्य	30.16	8.62
12.	27-पेयजल योजना	4215-01-101-01-27 जवाई-पाली-जालौर-जलापूर्ति परियोजना (जवाई-जोधपुर पाईप लाईन परियोजना)	17.25	0.75
13.		4215-01-101-01-44 नागौर लिफ्ट कैनाल, फेज-I	28	2.89
14.		4215-01-101-01-49 टोंक-देवली-उनियारा जलापूर्ति परियोजना	28.5	9.85
15.		4215-01-101-01-61 शहरी जलापूर्ति परियोजना, जोधपुर (ईएपी)	69	33.2
16.		4215-01-101-11-02 बीसलपुर-जयपुर जलापूर्ति परियोजना, फेज-II(शहरी)	24.04	0.02
17.		4215-01-102-01-25 उम्मेद सागर जलापूर्ति परियोजना (नाबार्ड)	25	1.9
18.		4215-01-102-01-55 माही बांध से जिला बासंवाडा के सज्जनगढ एवं कुशलगढ ब्लाक के गांवों की जलापूर्ति योजना (ग्रामीण)	81.21	31.29
19.		4215-01-102-19 चम्बल बालेर-सवाई माधोपुर जलापूर्ति योजना	25.05	9.74
20.		4215-01-102-39 पोकरण-फलसुण्ड जलापूर्ति योजना	76.96	39.17
21.		4215-01-102-40	37.1	17.48

क्र.सं	अनुदान	लेखाशीर्ष	प्रावधान	व्यय
		डीग जलापूर्ति योजना		
22.		4215-01-102-50 बाडमेर लिफ्ट कैनाल जलप्रदाय परियोजना फेज द्वितीय	35.1	0.04
23.		4215-01-102-62 बाडमेर लिफ्ट कैनाल जलप्रदाय परियोजना फेज द्वितीय पार्ट-सी (473 गांवों की क्लस्टर योजना)	91.5	42.91
24.		4215-01-102-65 गागरिन जलापूर्ति योजना	32.5	13.23
25.		4215-01-102-78 नर्मदा परियोजना क्लस्टर (डीआर)	62.5	25.61
26.		4215-01-102-84 भीनमाल शहर एवं भीनमाल तहसील के 256 गांवों हेतु जलापूर्ति परियोजना	52.75	14.41
27.		4215-01-102-61 बाडमेर लिफ्ट कैनाल जल प्रदाय परियोजना फेज द्वितीय पार्ट-बी (68 गांवों की क्लस्टर योजना)	19.69	4.09
28.		4215-01-102-79 इसरदा बांध का निर्माण (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)	67.86	15.86
29.	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	4202-01-796-19-01 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य	24.36	5.49
30.		4215-01-796-01-52 इसरदा बांध का निर्माण (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)	29.92	7.26
31.		4215-01-796-01-76 माही बांध से जिला बासंवाड़ा के सज्जनगढ़ एवं कुशलगढ़ ब्लॉक के गांवों की पेयजल योजना (ग्रामीण)	30.12	11.53
32.		4225-02-796-11-03 एकलव्य मोडल आवासीय विद्यालयों का निर्माण एवं नवीनीकरण	20	2.72
33.		5054-03-796-07 केन्द्रीय सड़क निधि से पोषित सड़कें	96.52	41.37
34.	46-सिंचाई	4701-73-001-01-01 निर्माण कार्य	46.4	1.35
35.	47-पर्यटन	5452-80-800-01 पर्यटन स्थलों का विकास	25.99	4.83
36.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	4202-01-789-14-01 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य	32.75	6.94
37.		4210-01-789-01-90 निर्माण कार्य	44.16	10.61
38.		4215-01-789-01-58 नर्मदा से शिव तहसील जिला बाडमेर जलापूर्ति परियोजना (205 गांव)	26.00	19.22
39.		4215-01-789-01-56 इसरदा बांध का निर्माण (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)	37.22	8.68
40.		4215-01-789-01-81 माही बांध से जिला बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ एवं कुशलगढ़ ब्लॉक के गांवों की पेयजल योजना (ग्रामीण)	38.67	17.29
		योग	2,523.76	881.60

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट-3.6

(संदर्भ अनुच्छेद 3.5.3; पृष्ठ 103)

योजनाओं का विवरण जिनमें ₹ एक करोड़ या अधिक का सम्पूर्ण प्रावधान अनुपयोजित रहा।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
1.	8-राजस्व	2029-103-09-01 वैश्विक सूचना प्रणाली प्रयोगशाला	1.00	0.89	0.00
2.	9-वन	4406-01-070-02 प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन विभाग के माध्यम से	1.54	0.84	0.00
3.		4406-02-110-16-01 विकास कार्य	1.50	₹ 1000	0.00
4.	12-अन्य कर	5055-800-01-01 सड़क सुरक्षा गतिविधियों पर पूंजीगत परिव्यय	3.00	₹ 1000	0.00
5.	14-बिक्री कर	2040-800-02-02 ब्याज अनुदान	5.25	₹ 1000	0.00
6.	15-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071-01-117-01-02 सेवानिवृत्ति के अंतिम तीन माह हेतु राज्य सरकार का अंशदान-प्रतिबद्ध	1.00	₹ 1000	0.00
7.	16-पुलिस	2055-115-10-01 केन्द्र की स्थापना	1.00	-	0.00
8.		4055-207-01-04 कंप्यूटर पुलिस	17.00	-	0.00
9.	19-लोक निर्माण कार्य	4225-03-277-01-90 निर्माण कार्य	2.52	₹ 2000	0.00
10.		4250-201-02-90 निर्माण कार्य	1.02	0.05	0.00
11.	21-सड़कें एवं पुल	3054-03-337-04-02 आधुनिकीकरण	1.44	-	0.00
12.		3054-02-337-01-02 संधारण एवं जीर्णोद्धार	173.49	173.79	0.00
13.		3054-80-797-03 केन्द्रीय सड़क निधि को अन्तरण (100 प्रतिशत केन्द्रीय)	750.00	611.79	0.00
14.		5054-04-337-17-01 नाबार्ड आरआईडीएफ-XXV (सड़क उन्नयन परियोजना)	60.73	₹ 1000	0.00
15.		5054-02-337-03 सीमावर्ती सड़क विकास मंडल के माध्यम से	42.00	42.00	0.00
16.	22-क्षेत्र का विकास	2575-02-102-01-01 मुख्यालय	0.60	0.05	0.00
17.	23-श्रम तथा रोजगार	4250-203-04-01 प्रशिक्षण (संयंत्र और उपकरण)	21.50	-	0.00
18.		4250-203-07-01 वोकेशनल ट्रेनिंग इम्प्रुवमेन्ट प्रोजेक्ट (वर्ल्ड बैंक सहायता अन्तर्गत) (संयंत्र और उपकरण)	8.00	-	0.00
19.		4250-203-10-01 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में आई.टी.आई. (संयंत्र और उपकरण)	1.50	-	0.00
20.	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	2202-01-001-04-01 राज्य स्तरीय समन्वय प्रकोष्ठ हेतु सहायता	3.00	₹ 1000	0.00
21.		2202-02-110-02 अन्य विद्यालय-प्रतिबद्ध	1.00	1.00	0.00

क्र.सं.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
22.	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	2202-03-102-05 महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर को अनुदान-प्रतिबद्ध	7.00	5.00	0.00
23.		2202-03-102-16 डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर को अनुदान	3.00	-	0.00
24.		2202-03-104-01 अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय को अनुदान	6.67	6.80	0.00
25.		2202-03-800-03 कॉलेज शिक्षा विभाग की नवाचार/नवीन योजनाएं	2.47	₹ 1000	0.00
26.		4202-01-202-14-01 माडल स्कूल-निर्माण कार्य	24.80	₹ 1000	0.00
27.		4202-01-203-06-01 भवन	3.86	3.84	0.00
28.		4202-02-104-02 निदेशक, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से	7.44	₹1000	0.00
29.		4202-03-102-01 स्वैल विभाग के माध्यम से - जिला स्वैल काम्प्लेक्स	2.98	₹ 1000	0.00
30.		27-पेयजल योजना	2215-02-192-01-01 नगरपालिकाओं को सहायतार्थ-अनुदान प्रतिबद्ध	6.60	6.60
31.	4215-01-101-01-31 चम्बल-बालेर-सवाईमाधोपुर जलापूर्ति योजना		27.05	₹ 1000	0.00
32.	4215-01-101-01-81 चम्बल-भीलवाडा जलापूर्ति योजना-कलस्टर		17.25	₹ 1000	0.00
33.	4215-01-101-01-84 भीनमाल शहर एवं भीनमाल तहसील के 256 गांवों हेतु जलापूर्ति परियोजना		20.70	2.44	0.00
34.	4215-01-101-01-86 इसरदा बांध का निर्माण कार्य (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)		17.25	₹ 1000	0.00
35.	4215-01-101-01-88 जवाई, पाली पाईपलाईन परियोजना फेज.-II पार्ट-ब (शहरी)		2.07	₹ 1000	0.00
36.	4215-01-101-11-05 डूंगरपुर, आसपुर एवं दोवडा पेयजल परियोजना		13.25	₹1000	0.00
37.	4215-01-102-01-51 बत्तीसा नाले पर बांध बनाकर सिरौही जिले हेतु पेयजल परियोजना (शहरी)		17.25	8.37	0.00
38.	4215-01-102-01-54 जास्म बांध से जिला प्रतापगढ के गांवों की पेयजल परियोजना (ग्रामीण)		3.45	1.32	0.00
39.	4215-01-102-01-60 झालीजी का बराना पेयजल परियोजना		3.45	₹ 1000	0.00
40.	4215-01-102-01-63 परवन-अकावाद पेयजल परियोजना		3.45	1.32	0.00
41.	4215-01-102-01-67 हरीपुरा माँजी पेयजल परियोजना जिला कोटा		3.45	₹ 1000	0.00
42.	28-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम		2501-05-196-08-01 जल विकास एवं मृदा संरक्षण विभाग के माध्यम से	82.91	-

क्र.सं.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय	
43.	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2217-05-800-01-01 अजमेर स्मार्ट सिटी	15.00	₹1000	0.00	
44.		2217-05-800-01-02 जयपुर स्मार्ट सिटी	15.00	30.00	0.00	
45.		2217-05-800-01-04 कोटा स्मार्ट सिटी	15.00	₹ 1000	0.00	
46.		2217-80-191-14-04 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत निष्पादन के लिये प्रोत्साहन अनुदान	9.68	₹ 1000	0.00	
47.		2217-80-191-41-01 अन्नपूर्णा योजना (सामान्य)	15.36	₹ 1000	0.00	
48.		2217-80-192-14-04 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत निष्पादन के लिये प्रोत्साहन अनुदान	24.39	₹1000	0.00	
49.		2217-80-192-33-01 विद्युत बिलों का भुगतान-प्रतिबद्ध	120.00	10.00	0.00	
50.		2217-80-192-36-01 विद्युत प्रभार हेतु-प्रतिबद्ध	21.00	21.00	0.00	
51.		2217-80-192-36-02 वितरण प्रणाली में सुधार हेतु-प्रतिबद्ध	1.30	1.30	0.00	
52.		2217-80-192-36-03 अनुरक्षण एवं मरम्मत-प्रतिबद्ध	1.10	1.10	0.00	
53.		2217-80-192-44-01 अन्नपूर्णा योजना (सामान्य)	57.77	₹ 1000	0.00	
54.		2217-80-797-02 राजस्थान शहरी विकास निधि-प्रतिबद्ध	250.00	30.00	0.00	
55.		4217-03-800-01-05 विभिन्न शहरी निकायों की जल प्रदाय योजनाओं में सुधार कार्य	4.35	4.35	0.00	
56.		30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	2202-02-796-18 लेपटाप वितरण	17.00	₹ 1000	0.00
57.			2202-03-796-07 अराजकीय प्रशिक्षण महाविद्यालय को अनुदान	1.50	1.42	0.00
58.	2205-796-02 राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रौन्नति प्राधिकरण, जयपुर		3.64	0.00	0.00	
59.	2217-80-191-14-06 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत निष्पादन के लिये प्रोत्साहन अनुदान		1.90	₹ 1000	0.00	
60.	2217-80-191-41-03 अन्नपूर्णा योजना (अनुसूचित जनजातियों के लिये उपयोजना)		3.01	₹ 1000	0.00	
61.	2217-80-192-14-06 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत निष्पादन के लिये प्रोत्साहन अनुदान		4.79	₹1000	0.00	
62.	2217-80-192-44-03 अन्नपूर्णा योजना (अनुसूचित जनजातियों के लिये उपयोजना)		11.34	₹1000	0.00	
63.	2235-02-196-19-20 अनुसूचित जनजाति के बीपीएल परिवारों को जन बीमा योजना हेतु सहायता (प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना)		7.02	-	0.00	

क्र.सं.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
64.	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	2425-796-31 समग्र सहकारी विकास हेतु सहायता	1.99	-	0.00
65.		2515-196-42-02 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (कार्यक्रम/ गतिविधियां)	6.69	8.94	0.00
66.		2515-198-34-02 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिये सामान्य निष्पादन अनुदान (कार्यक्रम/ गतिविधियां)	30.32		0.00
67.		3454-02-796-05-01 आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	13.20	0.49	0.00
68.		4202-01-796-11-90 निर्माण कार्य	4.00	₹1000	0.00
69.		4202-01-796-14-01 माडल स्कूल निर्माण कार्य	5.05	₹ 1000	0.00
70.		4210-01-796-08-01 औषधि नियंत्रक के माध्यम से	4.20	3.41	0.00
71.		4210-03-796-02-01 एस.एम.एस. चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	5.16	5.16	0.00
72.		4210-03-796-05-03 चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर	15.00	₹ 2000	0.00
73.		4210-03-796-08-02 चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर	5.00	₹ 4000	0.00
74.		4210-03-796-08-03 चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर	5.00	5.00	0.00
75.		4215-01-796-01-10 नर्मदा जलप्रदाय योजना (एफ आर) नाबार्ड	1.67	1.53	0.00
76.		4215-01-796-01-27 बाडमेर लिफ्ट केनाल जलप्रदाय परियोजना फेज-2	4.96	1.78	0.00
77.		4215-01-796-01-73 बत्तीसा नाले पर बांध बनाकर सिरोंही जिले हेतु पेयजल योजना (ग्रामीण)	3.25	1.68	0.00
78.		4215-01-796-02-06 चम्बल-बालेर-सवाई माधोपुर पेयजल परियोजना	7.85	₹ 1000	0.00
79.		4215-01-796-02-40 चम्बल-भीलवाडा पेयजल परियोजना-कलस्टर	3.25	₹ 1000	0.00
80.		4215-01-796-02-43 भीनमाल शहर एवं भीनमाल तहसील के 256 गांवों हेतु जलापूर्ति परियोजना	3.90	0.34	0.00
81.		4215-01-796-02-45 ईसरदा बांध का निर्माण कार्य (जल संसाधन के माध्यम से)	3.25	₹ 1000	0.00
82.	4215-01-796-02-56 डूंगरपुर, आसपूर एवं देवडा पेयजल परियोजना	5.25	₹ 1000	0.00	
83.	4215-01-796-02-58 बीसलपुर-जयपुर जलप्रदाय परियोजना द्वितीय चरण (शहरी)	4.87	1.65	0.00	
84.	4225-02-796-20-14 माँ -बाडी केन्द्र भवनों का निर्माण	13.20	-	0.00	
85.	4250-796-01-01 प्रशिक्षण (संयंत्र और उपकरण)	7.81	-	0.00	
86.	4401-796-07-06 कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से	2.13	0.73	0.00	

क्र.सं.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय	
87.	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	4425-195-05-03 समग्र सहकारी विकास हेतु सहायता	3.33	-	0.00	
88.		4700-37-796-01 निर्माण कार्य	2.10	₹ 10000	0.00	
89.		4700-43-796-01-01 निर्माण कार्य	5.00	-	0.00	
90.		4700-44-796-01-01 निर्माण कार्य	5.00	-	0.00	
91.		4700-45-796-01-01 निर्माण कार्य	5.00	-	0.00	
92.		4853-01-796-04-02 खनन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से	1.96	-	0.00	
93.		5054-04-796-06-14 नाबार्ड आर.आई.डी.एफ.-XXV (सड़क उन्नयन परियोजना)	11.93	₹ 1000	0.00	
94.		5452-80-796-01 पर्यटक स्थलों का विकास	9.37	0.10	0.00	
95.		5452-80-796-03 ग्रामीण पर्यटन का विकास	2.00	1.58	0.00	
96.		33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2225-03-190-10-01 अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सहकारी विकास निगम	4.30	₹1000	0.00
97.	2235-02-103-20-01 महिला अधिकारिता विभाग के माध्यम से		2.21	-	0.00	
98.	2235-02-196-02-33 चिराली योजना		1.27	-	0.00	
99.	2235-02-196-19-04 बी.पी.एल.परिवारों को जन श्री बीमा योजना हेतु अनुदान		1.92	₹ 1000	0.00	
100.	2235-02-196-19-18 बी.पी.एल.परिवारों को जन बीमा योजना हेतु सहायता (प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना)		12.48	-	0.00	
101.	4225-04-800-01-01 छात्रावास भवन का निर्माण		4.17	1.50	0.00	
102.	4235-02-103-09 महिला स्वयं सहायता ग्रुप भवन का निर्माण		1.00	-	0.00	
103.	4235-02-800-09-01 महाविद्यालय स्तरीय छात्रावास भवन का निर्माण		7.00	0.13	0.00	
104.	34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत		2245-01-101-14-02 वृद्ध, अशक्त एवं निसहाय बच्चों के लिए राहत	5.00	4.10	0.00
105.			2245-01-102-11-01 ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की आपातकालीन आपूर्ति	11.00	8.95	0.00
106.		2245-01-102-11-02 नगरीय क्षेत्रों में पीने के पानी की आपातकालीन आपूर्ति	1.00	0.83	0.00	
107.		2245-01-105-04-01 औषधियों एवं टीका दवाइयों पर अतिरिक्त लागत	2.50	2.18	0.00	
108.		2245-01-800-03-01 अन्य विशेष राहत	1.00	0.95	0.00	
109.		2245-01-800-04-02 संबंध पक्षों/कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण	1.00	1.00	0.00	

क्र.सं.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
110.	34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245-01-800-04-03 राज्य के आपदा प्रबन्धन केन्द्रों और प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता	1.00	1.00	0.00
111.		2245-01-800-04-05 आपदा प्रबन्धन प्राधिकरणों का सुदृढीकरण	1.00	1.00	0.00
112.		2245-02-101-16-01 अन्य मद	1.00	1.00	0.00
113.		2245-02-109-02-01 बाढ़ से क्षतिग्रस्त जलापूर्ति, जल निकास आदि की मरम्मत	2.50	12.37	0.00
114.		2245-02-115-02-01 भूमि से रेत/गाद/लवणता हटाने हेतु सहायता	1.00	1.00	0.00
115.		2245-02-191-02-01 बाढ़ से प्रभावित कार्यों हेतु नगर निगमों को सहायता	1.00	1.00	0.00
116.		2245-02-192-02-01 बाढ़ से प्रभावित कार्यों हेतु नगर पालिका/नगर परिषदों को सहायता	2.00	2.00	0.00
117.		2245-02-193-02-01 बाढ़ से प्रभावित पंचायतों एवं अधिसूचित क्षेत्र समितियों को सहायता	1.00	1.00	0.00
118.		35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं	5475-800-16-01 आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	1.00	1.00
119.	37-कृषि	2401-109-16-02 बीज एवं रोपण सामग्री	3.50	2.10	0.00
120.		4401-800-03-07 कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से	12.00	10.53	0.00
121.	41-सामुदायिक विकास	2515-198-34-01 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिये सामान्य निष्पादन अनुदान (कार्यकलाप/गतिविधियां)	154.51	-	0.00
122.	42-उद्योग	2040-800-04-04 जीरो लिक्विड डिस्चार्ज वेस्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट हेतु पूँजी अनुदान	3.00	1.35	0.00
123.		4885-60-800-25-01 उच्च शिक्षा-प्राप्ति केन्द्र	3.66	3.66	0.00
124.		6885-60-800-03-01 दिल्ली-मुम्बई इन्टरस्ट्रियल कारीडोर (डीएमआईसी)	5.00	-	0.00
125.	43-स्वनिज	2853-02-797-01 लेखा मद 8229-200-(07) माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार-प्रतिबद्ध	41.23	47.96	0.00
126.		4853-01-004-07-02 स्वनिज क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से	5.00	-	0.00
127.	46-सिंचाई	2700-02-800-03 अन्य व्यय- प्रतिबद्ध	37.25	36.01	0.00
128.		2700-22-800-02 अन्य व्यय- प्रतिबद्ध	10.69	10.64	0.00
129.		2701-02-800-01 अन्य व्यय- प्रतिबद्ध	3.42	3.42	0.00
130.		4700-41-001-01-01 निर्माण कार्य	4.10	-	0.00

क्र.सं.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
131.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण के हेतु विशिष्ट सघटक योजना	2202-02-789-14 लेपटाप का वितरण	12.00	₹1000	0.00
132.		2202-03-789-05 अराजकीय प्रशिक्षण महाविद्यालय को अनुदान	1.83	1.78	0.00
133.		2202-03-789-07-01 मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण	1.50	1.35	0.00
134.		2205-789-03 राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण, जयपुर	4.81	-	0.00
135.		2205-789-04-01 पुरातत्व विभाग के माध्यम से	2.94	1.78	0.00
136.		2217-80-191-14-05 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत निष्पादन के लिये प्रोत्साहन अनुदान	2.51	₹ 1000	0.00
137.		2217-80-191-41-02 अनुसूचित जातियों के लिए उपयोजना	3.99	₹ 1000	0.00
138.		2217-80-192-14-05 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत निष्पादन के लिये प्रोत्साहन अनुदान	6.33	₹ 1000	0.00
139.		2217-80-192-44-02 अनुसूचित जातियों के लिये उपयोजना	15.00	₹ 1000	0.00
140.		2225-01-196-21-01 छात्रावासियों को साईकिल वितरण योजना	2.00	₹ 1000	0.00
141.		2235-02-196-19-19 अनुसूचित जाति के बी.पी.एल.परिवारों को जन बीमा योजना हेतु सहायता (प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना)	6.50	-	0.00
142.		2401-789-03-12 राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के माध्यम से जारी अनुदान	1.95	-	0.00
143.		2515-198-34-03 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिये सामान्य निष्पादन अनुदान (कार्यकलाप/गतिविधियां)	40.11	-	0.00
144.		2515-196-42-03 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (कार्यकलाप/गतिविधियां)	5.06	11.92	0.00
145.		3425-01-789-05 सरसेक/सेटकॉम नेटवर्क	1.50	₹ 1000	0.00
146.	3454-02-789-05-01 आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	15.50	0.39	0.00	
147.	4202-01-789-06-90 निर्माण कार्य	4.00	₹ 1000	0.00	
148.	4202-01-789-09-01 माडल स्कूल निर्माण कार्य	6.50	₹ 1000	0.00	
149.	4210-01-789-06-01 औषधि नियंत्रक के माध्यम से	4.87	4.49	0.00	
150.	4210-02-789-01-90 निर्माण कार्य	7.82	1.60	0.00	
151.	4210-03-789-02-01 एस.एम.एस.चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर	6.74	6.74	0.00	

क्र.सं.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
152.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण के हेतु विशिष्ट सघटक योजना	4210-03-789-05-01 चिकित्सा महाविद्यालय कोटा	5.50	0.50	0.00
153.		4215-01-789-01-13 नर्मदा जल प्रदाय परियोजना (एफ.आर.) नाबार्ड	2.16	1.98	0.00
154.		4215-01-789-01-19 बाडमेर लिफ्ट केनाल जल प्रदाय परियोजना फेज 2	7.33	9.74	0.00
155.		4215-01-789-01-78 बत्तीसा नाले पर बांध बनाकर सिरोही जिले हेतु पेयजल योजना (ग्रामीण)	4.50	2.23	0.00
156.		4215-01-789-02-06 चम्बल बालेर सवाईमाधोपुर जल प्रदाय परियोजना	10.10	₹ 1000	0.00
157.		4215-01-789-02-40 चम्बल भीलवाडा जल प्रदाय परियोजना-कलस्टर	4.50	₹ 1000	0.00
158.		4215-01-789-02-43 भीनमाल शहर एवं भीनमाल तहसील के 256 गांवों हेतु जलापूर्ति परियोजना	5.40	0.61	0.00
159.		4215-01-789-02-56 डुंगरपुर आसपुर एवं दोवडा पेयजल परियोजना	6.50	₹ 1000	0.00
160.		4215-01-789-02-45 ईसरदा बांध का निर्माण कार्य (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)	4.50	₹ 1000	0.00
161.		4215-01-789-02-58 बीसलपुर-जयपुर जल प्रदाय परियोजना द्वितीय चरण (शहरी)	6.14	1.94	0.00
162.		4401-789-01-06 कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से	2.00	0.74	0.00
163.		4705-789-09-01 भूमि विकास कार्य	7.52	-	0.00
164.		4853-01-789-02-02 खनन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से	2.95	-	0.00
165.		5054-04-789-04-14 नाबार्ड आर.आई.डी. एफ.-XXV (सड़क उन्नयन परियोजना)	15.83	₹ 1000	0.00
			योग	2,766.38	

स्रोत: विनियोग लेसे।

परिशिष्ट-3.7

(संदर्भ अनुच्छेद 3.5.3; पृष्ठ 104)

मामले जहाँ अन्तिम तीन वर्षों में सम्पूर्ण प्रावधान अनुपयोजित रहे

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान	लेखाशीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20
1.	8-राजस्व	2029-103-09-01 वैश्विक सूचना प्रणाली प्रयोगशाला (जी.आई.एस.लैब)	11.70	11.70	1.00
2.	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2217-80-797-02 राजस्थान शहरी विकास निधि-प्रतिबद्ध	274.29	200.00	250.00
3.	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	2225-02-196-16-01 छात्रावासियों को साईकिल वितरण योजना	1.50	1.00	1.25
4.		3425-01-796-05 सरसेक/सेटकाम नेटवर्क	3.19	3.31	1.00
5.		4202-01-796-11-90 शिक्षक शिक्षा के लिये ब्लाक संस्थान के निर्माण कार्य	1.17	1.27	4.00
6.		4853-01-796-04-02 स्ननन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से	1.25	1.96	1.96
7.	33-पर्यटन स्थलों का विकास	2235-02-103-20-01 मिशन ग्राम्य शक्ति-महिला अधिकारिता विभाग के माध्यम से	10.60	7.35	2.21
8.	43-स्ननिज	4853-01-004-07-02 स्ननन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से	1.20	5.00	5.00
9.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण के हेतु विशिष्ट सघंटक योजना	2225-01-196-21-01 छात्रावासियों को साईकिल वितरण योजना	2.00	1.50	2.00
10.		3425-01-789-05 सरसेक/सेटकॉम नेटवर्क	4.29	4.75	1.50
11.		4202-01-789-06-90 शिक्षक शिक्षा के लिये ब्लाक संस्थान-निर्माण कार्य	1.17	1.27	4.00
		योग	312.36	239.11	273.92

स्रोत: विनियोग लेखे।

परिशिष्ट-3.8

(संदर्भ अनुच्छेद 3.5.4; पृष्ठ 106)

व्यय का प्रवाह (जहाँ अन्तिम तिमाही में व्यय प्रत्येक प्रकरण में रुपये 10 करोड़ से अधिक एवं कुल व्यय के 50 प्रतिशत से भी अधिक था) ।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष (उपशीर्ष तक)	जनवरी-मार्च 2020 के दौरान हुआ व्यय	मार्च 2020 के दौरान हुआ व्यय	कुल व्यय	के दौरान हुआ व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2020	मार्च 2020
1	10-विविध सामान्य सेवाएं	2075-797-01 मद 8235-117 गारंटी मोचन निधि को हस्तांतरण	586.86	586.86	586.86	100.00	100.00
2	16-पुलिस	4055-207-02 जिला पुलिस	37.72	36.1	37.72	100.00	95.71
3	23-श्रम तथा रोजगार	2230-01-103-07 भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल राजस्थान-प्रतिबद्ध	382.59	382.59	382.59	100.00	100.00
4	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	2202-03-103-11 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	13.27	13.21	22.31	59.48	59.21
5		4202-01-202-17 नाबार्ड आरआईडीएफ-XXIII के तहत निर्माण कार्य	15	15	15	100.00	100.00
6		4202-01-202-18 नाबार्ड आरआईडीएफ XXIV के तहत माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य	28.57	21.07	28.57	100.00	73.75
7	26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	2210-05-105-06 राजस्थान चिकित्सा शिक्षा सोसायटी	75.5	60	109.5	68.95	54.79
8		2210-06-190-01 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता	108.5	108.5	178.42	60.81	60.81
9	27-पेयजल योजना	4215-01-102-78 नर्मदा परियोजना-कलस्टर (डी.आर.)	17.4	14.53	25.61	67.94	56.74
10	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2217-05-190-02 राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि	59.58	52.72	104.31	57.12	50.54
11		2217-05-800-01 स्मार्ट सिटी	30	30	30	100.00	100.00
12		3055-800-07 राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि	43.47	43.47	76.82	56.59	56.59
13	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	2403-797-02 राजस्थान गौसरक्षण एवं संवर्धन निधि को हस्तांतरण	90	90	90	100.00	100.00
14		2425-796-33 सहकारी संस्थाओं को ब्याज अनुदान	66.64	66.64	66.64	100.00	100.00

क्र.सं.	अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष (उपशीर्ष तक)	जनवरी-मार्च 2020 के दौरान हुआ व्यय	मार्च 2020 के दौरान हुआ व्यय	कुल व्यय	के दौरान हुआ व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2020	मार्च 2020
15	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	2425-797-35 सहकारी समितियों के अच्छे ऋणियों को ब्याज अनुदान	37.68	37.68	37.68	100.00	100.00
16		2501-05-196-07 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के एस.वाई) जल ग्रहण घटक	26.83	26.83	26.83	100.00	100.00
17		2801-80-796-01 राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के माध्यम से	1866.28	1866.28	1866.28	100.00	100.00
18		4210-03-796-07 पी.एम.एस.एस.वाई के अन्तर्गत चिकित्सा महाविद्यालय का उन्नयन फेज-IV	24.02	24.02	25.97	92.49	92.49
19		4225-02-796-09 उपयोजना क्षेत्र में सिंचाई सुविधा हेतु विभिन्न निर्माण कार्य (एस सी ए)	12	12	24	50.00	50.00
20		4225-02-796-11 संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत योजनाएं जिनके लिए भारत सरकार से राशि प्राप्त हुई (वि.के.सण)	51.3	51.3	84.32	60.84	60.84
21		4801-80-796-07 जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में उदय योजनान्तर्गत विनियोजन	43.98	43.98	43.98	100.00	100.00
22		4801-80-796-08 जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में उदय योजनान्तर्गत विनियोजन	40.67	40.67	40.67	100.00	100.00
23		4801-80-796-09 अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में उदय योजनान्तर्गत विनियोजन	42.11	42.11	42.11	100.00	100.00
24		34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245-02-106-08 बाढ़ क्षेत्र में सराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना	35.53	30.91	38.41	92.50
25	34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245-02-114-09 लघु एवं सीमांत कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान	367.22	227.14	380.68	96.46	59.67
26		2245-02-282-07 बाढ़ क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य	63.01	63.01	63.01	100.00	100.00
27	35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवायें	3454-02-205-03 राजस्थान जन आधार योजना	17.22	17.22	17.22	100.00	100.00
28	36-सहकारिता	2425-107-20 सहकारी संस्थाओं को ब्याज भुगतान हेतु सहायता	189.38	189.38	366.5	51.67	51.67

क्र.सं.	अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष (उपशीर्ष तक)	जनवरी-मार्च 2020 के दौरान हुआ व्यय	मार्च 2020 के दौरान हुआ व्यय	कुल व्यय	के दौरान हुआ व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2020	मार्च 2020
29	36-सहकारिता	2425-800-02 सहकारी समितियों के अच्छे ऋणियों को ब्याज अनुदान	206.92	206.92	206.92	100.00	100.00
30	37-कृषि	2435-60-800-01 कृषक कल्याण कोष (के-3) हेतु सहायता	20	20	20	100.00	100.00
31		6401-800-10 कृषि उपज मण्डी को अनुदान (नाबार्ड)	20	20	20	100.00	100.00
32	39-पशुपालन एवं चिकित्सा	2403-797-02 राजस्थान गौसरक्षण एवं संवर्धन निधि को अन्तरण	272	272	272	100.00	100.00
33		2403-797-03 राजस्थान गौसरक्षण एवं संवर्धन निधि, आरक्षित कोष को अन्तरण	18.5	18.5	18.5	100.00	100.00
34	42-उद्योग	2852-80-001-08 आयुक्त, उद्योग विभाग	139.25	137.2	148.53	93.75	92.37
35	43-स्ननिज	4853-01-004-07 स्ननन क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य से सम्बन्धित व्यय	25.17	25.17	33.63	74.84	74.84
36	46-सिंचाई	2700-05-001-01 अनुरक्षण व्यय	14.32	12.13	14.32	100.00	84.71
37	48-विद्युत	2801-80-190-32 ब्याज अनुदान हेतु सहायता	18.98	18.98	18.98	100.00	100.00
38		2801-80-190-41 उदय योजना के अंतर्गत वितरण निगमों को सहायता	9463.23	9463.23	9463.23	100.00	100.00
39		4801-80-190-02 राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में विनियोजन	122.7	122.7	227.5	53.93	53.93
40		4801-80-190-10 जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में उदय योजनान्तर्गत विनियोजन	213.64	213.64	213.64	100.00	100.00
41		4801-80-190-11 जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में उदय योजनान्तर्गत विनियोजन	197.55	197.55	197.55	100.00	100.00
42		4801-80-190-12 अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में उदय योजनान्तर्गत विनियोजन	204.54	204.54	204.54	100.00	100.00
43		51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु	2403-797-02 राजस्थान गौसरक्षण एवं संवर्धन निधि को अन्तरण	110	110	110	100.00
44	विशिष्ट संघटक योजना	2406-04-789-05 वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य	10.23	10.23	10.23	100.00	100.00

क्र.सं.	अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष (उपशीर्ष तक)	जनवरी-मार्च 2020 के दौरान हुआ व्यय	मार्च 2020 के दौरान हुआ व्यय	कुल व्यय	के दौरान हुआ व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2020	मार्च 2020
45	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु	2425-789-01 सहकारी संस्थाओं को ब्याज भुगतान हेतु सहायता	82.87	82.87	82.87	100.00	100.00
46	विशिष्ट संघटक योजना	2425-789-06 सहकारी समितियों के अच्छे ऋणियों को ब्याज अनुदान	51.48	51.48	51.48	100.00	100.00
47		2801-80-789-01 उदय योजना के अंतर्गत वितरण निगमों को सहायता	2486.96	2486.96	2486.96	100.00	100.00
48		3055-789-07 राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि	11.28	11.28	19.93	56.60	56.60
49		4210-03-789-01 अस्पताल एवं औषधालय-चिकित्सा शिक्षा	21.61	16.68	30.12	71.75	55.38
50		4801-80-789-07 जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में उदय योजनान्तर्गत विनियोजन	56.55	56.55	56.55	100.00	100.00
51		4801-80-789-08 जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में उदय योजनान्तर्गत विनियोजन	52.29	52.29	52.29	100.00	100.00
52		4801-80-789-09 अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में उदय योजनान्तर्गत विनियोजन	54.14	54.14	54.14	100.00	100.00
		कुल	18,246.54	18,058.26	18,825.92	96.92	95.92

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट-4.1

(संदर्भ अनुच्छेद 4.2; पृष्ठ 121)

राज्य में कार्यकारी अभिकरणों को केन्द्रीय योजना निधियों का सीधा हस्तान्तरण (राज्य बजट से बाहर रखी गई निधियाँ)

(₹ करोड़ में)

भारत सरकार की योजना	कार्यकारी अभिकरण	2019-20
कृषि गणना एवं सांख्यिकी की एकीकृत योजना	कृषि विश्वविद्यालय	5.17
कृषि विपणन की एकीकृत योजना	कृषि विश्वविद्यालय	58.86
प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि (पीएम-किसान)	राजस्थान सहकारी विभाग	3,284.17
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय	0.50
बीज और पौधारोपण सामग्री का प्रस्तुतीकरण	राजस्थान राज्य बीज निगम, राजस्थान राज्य बीज और जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण एजेन्सी	7.31
आईएचएमएस/एफसीआईएस/आईआईटीटीएम/एनआईड ब्ल्यूएसको सहायता	स्वाद्य क्राफ्ट संस्थान तथा राज्य होटल प्रबन्धन संस्थान	13.76
सेवा प्रदाता के लिए क्षमता निर्माण	राज्य होटल प्रबन्धन संस्थान, केटरिंग तकनीकी एवं पोषण लागू करना तथा स्वाद्य क्राफ्ट संस्थान	0.65
तीर्थ यात्रा कायाकल्प तथा आध्यात्मिक वृद्धि (पीआरएएसएडी)	राजस्थान पर्यटन विकास निगम	6.70
विशिष्ट-थीम आधारित पर्यटन सर्किट का एकीकृत विकास (स्वदेश दर्शन)	राजस्थान पर्यटन विकास निगम	21.29
संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना	राजस्थान राज्य उद्योग विकास एवं निवेश निगम	0.00
एन एफ एस ए के तहत स्वाद्यान्नों और एफ पी एस डीलरों के अंतर राज्य गतिविधि के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता	स्वाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	78.35
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत देय चीनी सहाय्य (पी.डी.एस.)	राजस्थान राज्य स्वाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम	1.00
कला एवं संस्कृति का संवर्धन तथा बढ़ावा (अकादमी को सहयोग)	पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर	9.26
पर्यावरणीय संरक्षण तथा निगरानी (सूचना, शिक्षा, जानकारी तथा प्रशिक्षण)	राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड	1.40
स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु आधारभूत का विकास	सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय	2.60
आयुष स्थापना व्यय	राजस्थान राज्य औषधीय पौध बोर्ड, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान और वन विकास एजेंसियां	1.87
राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम	राजस्थान राज्य एड्स नियंत्रण समिति	38.69
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति	7.04
एन सी डी सी की मौजूदा शाखाओं की मजबूती और 27 शाखाओं की स्थापना	प्राचार्य, एसएमएस चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	1.24
ढांचागत विकास कार्यक्रम तथा क्षमता निर्माण	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम तथा उद्यम प्रोत्साहन संस्थान	10.94
स्वरीद और विपणन सहायता योजना	उद्यम उत्थान संस्थान, जयपुर	3.30
राष्ट्रीय बाल मजदूर परियोजना	बाल मजदूर परियोजना समितियां	1.75
ई-न्यायालय फेज-II	राजस्थान उच्च न्यायालय	1.29

भारत सरकार की योजना	कार्यकारी अभिकरण	2019-20
सुरपका मुंहपका रोग (एफ एम डी) और ब्रूसीलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम	पशु निदेशालय, जयपुर	40.76
डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड (आर सी डी एफ लि.)	24.40
राष्ट्रीय गोकुल मिशन	राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड (आर एल डी बी)	13.86
बायोगैस कार्यक्रम-ऑफ़ ग्रिड	कृषि विश्वविद्यालय एवं बाँयो फ्यूल प्राधिकरण	0.28
सौर उर्जा-आफ़ ग्रिड/ वितरित और विकेन्द्रीकृत अक्षय उर्जा	राजस्थान अक्षय उर्जा निगम और महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	88.12
पंचायतो को प्रोत्साहन	पंचायती राज विभाग	1.35
प्रशिक्षण योजनाएं	एच सी एम राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान	1.80
अटल अभिनव मिशन	जिला एआईएम तथा अकादमी संस्थान	3.98
संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	जिलाधिकारी	170.00
चल रहे कार्यक्रम और पावर योजनाएं	एसपीवी-एस्पिरेशनल	2.99
सडक विंग के अन्तर्गत कार्य	उपस्वण्ड अधिकारी झूंझुनू तथा सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एन एच-11	1.68
डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम	राजस्थान भू-अभिलेख आधुनिकीकरण समिति, जयपुर	3.23
आर डी कार्यक्रमों के लिए प्रबंधन सहायता और जिला योजना की सुदृढीकरण प्रक्रिया	ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र, पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र तथा इंदिरा पंचायती राज और ग्रामीण विकास संस्थान	0.94
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम	राज्य रोजगार गारंटी निधि, जयपुर	5,427.78
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका विकास परिषद्	3.69
सामाजिक आर्थिक विकास हेतु विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	शिक्षण संस्थान	3.88
राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना	जल संसाधन विभाग	3.00
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	जिलाधीश	1.81
वन स्टाप केन्द्र	जिलाधीश	6.77
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	महिला एवं बाल विकास विभाग	87.80
स्त्रियों के विकास हेतु स्त्रियों भारत राष्ट्रीय कार्यक्रम	राजस्थान खेल परिषद तथा शैक्षणिक संस्थान	24.53
राष्ट्रीय सेवा योजना	राजस्थान राज्य एनएसएस सेल	8.31
एक करोड़ से कम की योजनाएं (विभिन्न मंत्रालयों के तहत)		5.74
कुल योग		9,483.87

परिशिष्ट-4.2

(संदर्भ अनुच्छेद 4.5; पृष्ठ 128)

वर्ष 2019-20 तक के बकाया आकस्मिक बिलों की स्थिति

(₹ लाखों में)

क्र. सं.	नियंत्रण अधिकारी का नाम	मुख्य शीर्ष	वर्ष	आहरण एवं वितरण अधिकारी	राशि
1.	जिला शिक्षा अधिकारी, बीकानेर	2202	1989-90	प्राचार्य डाइट, बीकानेर	0.30
2.	प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जालौर		1990-91	सहायक निदेशक डाइट, जालौर	0.30
3.	निदेशक प्रौढ शिक्षा अधिकारी, राजसमन्द		1996-97	जिला प्रौढ शिक्षा अधिकारी, राजसमन्द	0.08
4.	जिला परिषद, बाँसवाड़ा	4202	1990-91	जिला परिषद, बाँसवाड़ा	0.30
					0.24
5.	रजिस्ट्रार राजस्व मंडल, अजमेर	2029	2007-08	राजस्व मंडल, अजमेर	292.18
6.	आयुक्त राहत विभाग, जयपुर	2245	2012-13	जिला न्यायाधीश एवं कलेक्टर, आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग, अलवर	103.50
7.	पुलिस महानिदेशक, पुलिस विभाग, जयपुर	2055	2014-15	उप-निदेशक (लेखा), विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पुलिस राजस्थान, जयपुर	57.00
					180.50
8.	सचिव, राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, जयपुर	2051	2016-17	सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन	2.00
9.	निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर	2055	2016-17	उप-निदेशक (लेखा), विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर	239.00
10.	निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर	2055	2017-18	उप-निदेशक (लेखा), राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पुलिस राजस्थान, जयपुर	66.50
					83.50
					161.50
11.	प्राचार्य, सरदार पटेल चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर	4210	2017-18	अतिरिक्त प्राचार्य, सरदार पटेल चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर	2125.67
12.	निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर	2055	2018-19	उप-निदेशक (लेखा), विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पुलिस राजस्थान, जयपुर	261.40
					161.97
13.	महानिदेशक पुलिस विभाग, जयपुर	2055	2018-19	जिला पुलिस अधीक्षक, पाली	10.00
14.	निदेशक, एनसीसी निदेशालय, जयपुर	2204	2018-19	प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय, एन.सी.सी. मुस्थालय, जयपुर	2.64
					7.35
15.	निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर	3425	2018-19	उप-निदेशक (प्रशासन), माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर	6.00
					8.00
					2.00
16.	सचिव, राजस्थान सामान्य प्रशासक (ग्रुप-4) विभाग जयपुर	2013	2019-20	सहायक सचिव (कार्मिक) शासन सचिवालय	0.25
					0.25

क्र. सं.	नियंत्रण अधिकारी का नाम	मुख्य शीर्ष	वर्ष	आहरण एवं वितरण अधिकारी	राशि
17.	रजिस्ट्रार राजस्व बोर्ड, अजमेर	2029	2019-20	उप रजिस्ट्रार राजस्व बोर्ड, अजमेर	52.00
18.	सचिव, राजस्थान सामान्य प्रशासक (ग्रुप-4) विभाग, जयपुर	2052	2019-20	आहरण वितरण अधिकारी कलेक्ट्रेट, जयपुर	1.50
				सहायक सचिव (कार्मिक) शासन सचिवालय	0.30
19.	महानिदेशक पुलिस, पुलिस विभाग, जयपुर	2055	2019-20	जिला पुलिस अधीक्षक, पाली	6.00
					10.00
20.	निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बीकानेर	2202	2019-20	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), अजमेर	0.57
				जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), अजमेर	1.19
21.	निदेशक, एन.सी.सी. निदेशालय, जयपुर	2204	2019-20	कमान्डिंग अधिकारी, प्रथम राज नेवल युनिट, एन.सी.सी. उदयपुर	0.13
				2 राज्य आमर्ड स्क्वाडन एन.सी.सी. जोधपुर	0.43
				7 राज. स्वतंत्र कंपनी, एन सी सी, जयपुर	0.12
				प्रशासनिक अधिकारी, एन.सी.सी. मुख्यालय, जयपुर	10.00
				कमान्डिंग अधिकारी III राज नेवल युनिट एन.सी.सी. जयपुर	0.29
				कमान्ड अधिकारी 7 एन.सी.सी. छात्रा (कोटा)	0.05
				2 राज आमर्ड स्क्वाडन एनसीसी जोधपुर	2.86
				कमान्ड अधिकारी I राज बटालियन एनसीसी जयपुर	1.01
				4 राज एयर स्क्वाडन एन.सी.सी. जोधपुर	1.25
				कमान्ड अधिकारी-III राज नेवल यूनिट एनसीसी जयपुर	0.08
					0.07
				कमान्ड अधिकारी, एनसीसी, सीकर	1.28
					2.00
				एनसीसी-I अलवर	2.23
कमान्ड अधिकारी-III, राज नेवल यूनिट एनसीसी, जयपुर	0.39				
22.	निदेशक, अभिलेखागार, बीकानेर	2205	2019-20	उपनिदेशक, अभिलेखागार, बीकानेर	1.50
23.	प्राचार्य, रविन्द्र नाथ टैगोर चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर	2210	2019-20	सुन्दर सिंह भण्डारी, सेटेलाइट अस्पताल, चांदपोल, उदयपुर	5.64

क्र. सं.	नियंत्रण अधिकारी का नाम	मुख्य शीर्ष	वर्ष	आहरण एवं वितरण अधिकारी	राशि
24.	मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जयपुर	2215	2019-20	अधिशाषी अभियंता (उत्पादन एवं वितरण), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, उदयपुर	0.16
25.	मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर	2217	2019-20	जिला निर्वाचन अधिकारी, बीकानेर	6.00
26.	आयुक्त आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग जयपुर	2245	2019-20	जिला कलक्टर (आपदा राहत), नागौर	10.00
				जिला कलक्टर (आपदा राहत), नागौर	10.00
				आहरण एवं संवितरण अधिकारी कलकट्टे जयपुर	11.00
				जिला कलक्टर (आपदा राहत), नागौर	5.00
27	मुख्य वन संरक्षक वन भवन झालाना, जयपुर	2406	2019-20	मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर	1.00
				बागान अधिकारी, उदयपुर	0.70
28	मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर	2515	2019-20	जिला निर्वाचन अधिकारी, सीकर	1.00
				जिला निर्वाचन अधिकारी, पाली	5.00
				जिला निर्वाचन अधिकारी, सवाई माधोपुर	1.00
				जिला निर्वाचन अधिकारी, पाली	20.00
29	निदेशक, उद्योग विभाग, जयपुर	2851	2019-20	संयुक्त निदेशक जिला उद्योग केन्द्र, जोधपुर	4.86
30	निदेशक, स्नान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर	2853	2019-20	अधीक्षण अभियन्ता (एम एंड डी) स्नान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर	5.95
31	सचिव, राज्य कार्मिक (ग्रुप-1) जयपुर	3451	2019-20	अतिरिक्त सचिव (कार्मिक), सचिवालय	0.40
कुल योग					3,955.39

परिशिष्ट-4.3

(सन्दर्भ अनुच्छेद 4.6.6; पृष्ठ 136)

वर्ष 2015-20 के दौरान अप्रचलित रहे निजी निक्षेप खातों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्र.सं.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	2015-20 के दौरान शेष	आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा बताये गये कारण
1	जिला महिला स्तरीय एजेन्सी, अजमेर	4.69	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
2	प्राचार्य, आई टी आई, अजमेर	15.16	पीडी खाते की सशर्त अनुमति दी गयी।
3	लाडर्स विश्वविद्यालय, अलवर	1.00	पीडी खाते की सशर्त अनुमति दी गयी।
4	प्राचार्य, राजकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय, अलवर	0.25	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
5	नये मोटर वाहन अग्रिम, ओरीयन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स, बांसवाड़ा	0.00	अग्रिम कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
6	अधिशाली अभियंता, सिंचाई, बांसवाड़ा	7.34	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
7	स्पण्डीय वन, बांसवाड़ा	0.00	अग्रिम कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
8	आईटीआई, केलवाडा, बांरा	1.28	पीडी खाते की सशर्त अनुमति दी गयी।
9	अधिशाली अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शहरी स्पण्ड, बाडमेर	2.05	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
10	अधिशाली अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उत्तर, बाडमेर	1.35	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
11	उप निदेशक (बालवकेश), महिला बाल विकास विभाग, बाडमेर	1.95	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
12	नये मोटर वाहन अग्रिम, एसबीबीजे, बाडमेर	0.00	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
13	नये मोटर वाहन अग्रिम, ओबीसी, बूंदी	0.26	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
14	नये मोटर वाहन अग्रिम, एसबीबीजे, चुरु	0.29	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
15	पीडी, डीआरडीए, दौसा	314.26	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
16	एनएसएपी, दौसा	24.50	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
17	आरसीएच सोसायटी (जिला प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य समिति), दौसा	7.57	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
18	उप अधीक्षक पुलिस, जिला जेल, दौसा	0.25	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
19	सहायक अभियंता (कृषि) एससी एवं डब्ल्यूएसडी, दौसा	1.14	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
20	आईन (कृषि) डब्ल्यूडीएससी, बान्दीकुई, दौसा	7.08	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
21	नये मोटर वाहन अग्रिम, एसबीबीजे, दौसा	0.14	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
22	नये मोटर वाहन अग्रिम, ओबीसी, दौसा	0.00	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
23.	एनपीएस, दौसा	83.71	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
24.	उप निदेशक, जिला महिला विकास अभिकरण, धौलपुर	3.14	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
25.	भवन निर्माण अग्रिम, एसबीबीजे, हनुमानगढ़	1.22	अग्रिम कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
26.	क्षेत्रीय एसडब्ल्यूएवीएम, जयपुर (शहर)	0.26	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
27.	प्राचार्य, राजकीय सीनियर स्कूल, गांधीनगर, जयपुर (शहर)	0.00	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
28.	प्राचार्य, महाराजा संस्कृत कालेज, जयपुर (शहर)	0.00	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
29.	अध्यक्ष, मंत्री केन्द्रीय प्रेस सहकारी, जयपुर (शहर)	0.17	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।

क्र.सं.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	2015-20 के दौरान शेष	आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा बताये गये कारण
30.	उप निदेशक, परियोजना निदेशक, जिला महिला एवं बाल विकास अभिकरण, जयपुर (शहर)	4.57	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
31.	सिसोदिया विद्याधर विकास समिति, जयपुर (शहर)	7.72	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
32.	राजस्थान राज्य संग्रहालय विकास संस्थान, जयपुर (शहर)	0.00	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
33.	एसबीबीजे के लिए वाहन ऋण की वसूली, जयपुर (शहर)	0.21	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
34.	ओबीसी के लिए वाहन ऋण की वसूली, जयपुर (शहर)	0.01	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
35.	फार्मसी कोर्स में डिप्लोमा, जयपुर (शहर)	6.73	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
36.	राज कौशल स्कूल आफ एनिमेशन, जयपुर (शहर)	0.00	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
37.	कलक्टर/उपनिदेशक, बचत, जयपुर (शहर)	0.38	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
38.	अध्यक्ष, ग्रामधन बोर्ड, जयपुर (शहर)	0.00	अग्रिम कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
39.	एमडी, तिलम संघ, जयपुर (सचिवालय)	0.43	पीडी खाते की सशर्त अनुमति दी गयी।
40.	राजस्थान सिविल एवियेशन कोरपोरेशन लिमिटेड जयपुर (सचिवालय)	12.27	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
41.	राजस्थान हॉर्टिकल्चर, जयपुर (सचिवालय)	3.03	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
42.	31 मार्च 2004 तक भवन ऋण की वसूली, जैसलमेर	24.51	अग्रिम कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
43.	भवन निर्माण अग्रिम, एसबीबीजे, जैसलमेर	1.13	अग्रिम कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
44.	अधीक्षक, आईटीआई, स्नानपुर, झालावाड़	2.67	पीडी खाते की सशर्त अनुमति दी गयी।
45.	परियोजना निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जोधपुर (शहर)	2.67	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
46.	परियोजना निदेशक, पंजीकृत स्वयं सहायता समूह जोधपुर (शहर)	0.27	अग्रिम कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
47.	भवन निर्माण अग्रिम, एसबीबीजे, जोधपुर (ग्रामीण)	0.03	अग्रिम कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
48.	कोषालय कार्यालय, भवन निर्माण अग्रिम की वसूली, एच डी एफ सी, नागौर	0.03	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
49.	मोटर वाहन अग्रिम की वसूली, ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कामर्स नागौर	0.06	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
50.	अधिकासी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सोजत, पाली	0.00	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
51.	नये मोटर वाहन अग्रिम, एसबीबीजे, राजसमंद	0.03	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
52.	31 मार्च 2004 तक स्वीकृत भवन निर्माण अग्रिम का पुनर्भुगतान, राजसमंद	0.12	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
53.	नये मोटर वाहन अग्रिम, ओबीसी, सीकर	0.01	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
54.	राज्य सरकार के कर्मचारियों के वाहन ऋण की वसूली (एस बी बी जे), उदयपुर (शहर)	0.00	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
55.	अधिकृत स्वयं सहायता ग्रुप/टी आर जी एण्ड सी टी आर, उदयपुर (शहर)	0.01	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
	योग	545.95	

परिशिष्ट-4.4

(संदर्भ अनुच्छेद 4.7; पृष्ठ 138)

लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत व्यय	कुल व्यय	प्रतिशत
1.	2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर	418.38	741.23	56.44
2.	2047-अन्य राजकोषीय सेवाएं	3.94	3.94	100.00
3.	2211-परिवार कल्याण	1687.84	3402.37	49.61
4.	2435-अन्य कृषि कार्यक्रम	22.00	32.82	67.03
5	2700-मुख्य सिंचाई	1005.62	1445.85	69.55
6	2701-मध्यम सिंचाई	111.54	192.09	58.07
7	3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	11.65	11.87	98.15
8	3452-पर्यटन	26.46	49.77	53.16
9	4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.04	0.04	100.00
10	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	16.64	22.30	74.62
11	4236-पोषण पर पूंजीगत परिव्यय	14.30	19.89	71.90
12	4401-फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	41.93	80.18	52.29
13	4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	63.77	103.22	61.78
14	4885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय	18.46	27.29	67.64
15	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	1650.92	3200.80	51.58
16	5425-अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	0.78	0.78	100.00
17	5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	5.69	10.61	53.63
18	5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	127.36	187.69	67.86
	योग	5,227.32	9,532.74	

लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	प्रतिशत
1	0035-कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर	1.32	1.32	100.00
2	0056-जेल	0.63	0.63	100.00
3	0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	112.69	207.16	54.40
4	0202-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	93.68	179.10	52.31
5	0211-परिवार कल्याण	0.16	0.16	100.00

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	प्रतिशत
6	0217-शहरी विकास	42.17	42.17	100.00
7	0220-सूचना तथा प्रसार	0.13	0.13	100.00
8	0230-श्रम तथा रोजगार	418.42	435.47	96.08
9	0235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	24.29	24.41	99.51
10	0401-फसल कृषि-कर्म	6.53	6.56	99.54
11	0406-वानिकी तथा वन्य प्राणी	69.59	109.47	63.57
12	0425-सहकारिता	5.30	9.11	58.18
13	0435-अन्य कृषि कार्यक्रम	11.51	11.80	97.54
14	0515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	13.54	14.59	92.80
15	0701-मध्यम सिंचाई	9.43	11.45	82.36
16	0702-लघु सिंचाई	3.52	6.50	54.15
17	0801-बिजली	17.17	17.17	100.00
18	0851-ग्राम तथा लघु उद्योग	1.42	1.42	100.00
19	0852-उद्योग	1.75	1.75	100.00
20	1452-पर्यटन	0.96	0.96	100.00
21	1475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	83.21	107.75	77.23
	योग	917.42	1189.08	

परिशिष्ट-4.5

(सन्दर्भ अनुच्छेद 4.13; पृष्ठ 144)

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में पूंजी निवेश के क्षरण को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	लेखों की अवधि	कुल प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ (+) /हानि (-)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजी निवेश का क्षरण	सरकारी निवेश (वित्त लेखे 2019-20 के अनुसार)
1	राजस्थान राज्य स्ननन एवं स्निज लिमिटेड (दिसम्बर 1974 से सरकारी कम्पनी)	2018-19	77.55	2,182.76	0	77.55
2	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड	2018-19	210.19	1,694.94	0	193.69
3	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2018-19	100.00	126.89	0	100.00
4	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	2018-19	180.39	73.28	0	180.84
5	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2016-17	21.95	(-)151.80	(-)129.85	21.95
6	राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड	2015-16	2.16	(-)8.71	(-)6.55	2.16
7	राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2017-18	46.06	(-)49.89	(-)3.83	45.51
8	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	2019-20	6.96	(-)25.12	(-)18.16	6.64
9	राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड	2019-20	2.00	19.56	0	2.00
10	बाड़मेर लिग्नाइट स्ननन कम्पनी लिमिटेड (राजस्थान राज्य स्नान एवं स्निज लिमिटेड की सहायक संयुक्त कम्पनी)	2018-19	20.00	0.3 4	0	0
11	राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (राजस्थान राज्य स्ननन एवं स्निज लिमिटेड की सहायक)	2018-19	67.08	(-)1.61	0	0
12	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	2019-20	4,656.57	(-)1,231.88	0	4,691.04
13	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2018-19	10,067.95	(-)4,382.81	0	10,417.95
14	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2019-20	11,332.51	(-)28,872.34	(-)17,539.83	11,332.51
15	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2018-19	10,018.03	(-)29,018.55	(-)19,000.52	10,465.57
16	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2019-20	10,487.99	(-)29,764.92	(-)19,276.93	10,487.99
17	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	2018-19	12.94	172.24	0	12.94
18	धौलपुर गैस पावर लिमिटेड (राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की सहायक)	2018-19	0.05	(-)0.04	0	0
19	गिरल लिग्नाइट पावर लिमिटेड (राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की सहायक)	2019-20	370.05	(-)1,542.82	(-)1,172.77	0
20	छबड़ा पावर लिमिटेड (राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की सहायक)	2018-19	0.05	(-)0.04	0	0

परिशिष्ट

क्र.सं.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	लेखों की अवधि	कुल प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+) /हानि (-)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूँजी निवेश का क्षरण	सरकारी निवेश (वित्त लेखे 2019-20 के अनुसार)
21	राजस्थान सोलर पार्क विकास कम्पनी लिमिटेड (राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की सहायक)	2018-19	0.05	30.16	0	0
22	बांसवाड़ा थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड (राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की सहायक)	2019-20	0.05	(-)9.92	(-)9.87	0
23	बाड़मेर थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड (राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की सहायक)	2019-20	0.05	(-)18.91	(-)18.86	0
24	राजकाम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड	2018-19	5.00	63.72	0	5.00
25	राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड	2019-20	1.27	(-)2.19	(-)0.92	1.27
26	राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त एवं वित्तीय सेवाएँ निगम लिमिटेड	2019-20	90.00	21.14	0	90.00
27	राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड (राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की सहायक)	2019-20	129.87	8.33	0	0
28	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	2019-20	50.00	0.00	0	50.00
29	राजस्थान राज्य विद्युत वितरण वित्त निगम लिमिटेड	2018-19	0.05	(-)0.02	0	0.05
30	राजस्थान वित्त निगम	2019-20	160.73	(-)108.47	0	128.31
31	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	2018-19	638.96	(-)4,975.52	(-)4,336.56	612.13
32	राजस्थान शहरी पेयजल, मल निकास तथा आधारभूत निगम लिमिटेड	2016-17	48.67	21.07	0	33.51
33	जयपुर मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड	2018-19	1,694.04	(-)287.72	0	1,494.04
34	राजस्थान पूर्व सैनिक निगम लिमिटेड	2019-20	5.00	20.16	0	5.00
35	राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड	2018-19	5.00	44.37	0	5.00
36	राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम	2018-19	0.05	(-)2.84	(-)2.79	0.05
37	राजस्थान राज्य स्वाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2016-17	50.00	36.73	0	50.00
38	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	2019-20	7.59	130.34	0	6.33
39	राजस्थान राज्य एग्रो इन्डस्ट्रीज निगम लिमिटेड	2014-15	6.00	(-)54.67	(-)48.67	4.13
40	राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम	2018-19	7.85	275.34	0	3.93
41	राजस्थान पुलिस आवास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2019-20	1.00	3.70	0	1.00
42	राजस्थान नागरिक विमानन निगम लिमिटेड	2018-19	4.49	(-)6.35	(-)1.86	4.49
43	उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	200.00	(-)0.12	0	100.00
44	कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	200.00	8.23	0	65.40
45	अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	प्रथम लेखे प्रतीक्षित	-	-	-	64.80
46	जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	प्रथम लेखे प्रतीक्षित	-	-	-	100.00
	योग		50,986.20	(-)95,590.87	(-)61,567.97	50,862.78

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष
के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

परिशिष्ट-4.6

(सन्दर्भ अनुच्छेद 4.14; पृष्ठ 146)

विभिन्न विभागों में चोरी/हानि और दुर्विनियोजन के मामलों का श्रेणीवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विभाग का नाम	चोरी/हानि के प्रकरण		सरकारी सामग्री का दुर्विनियोजन/हानि		योग	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	राजस्व	25	123.95	30	1135.55	55	1259.50
2.	शिक्षा	96	138.47	75	4952.76	171	5091.23
3.	चिकित्सा	20	250.47	49	471.72	69	722.19
4.	सार्वजनिक निर्माण	03	1.40	18	476.57	21	477.97
5.	जल संसाधन	01	.05	02	33.95	03	34.00
6.	भू-जल	03	3.86	02	3.40	05	7.26
7.	सिंचित क्षेत्र विकास, इंदिरा गांधी नहर परियोजना	02	4.12	00	00	02	4.12
8.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	06	12.56	05	69.73	11	82.29
9.	वन	03	26.42	02	77.32	05	103.74
10.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	205	204.17	17	90.42	222	294.59
11.	न्याय	04	1.68	10	118.92	14	120.60
12.	पुलिस	14	16.35	07	29.07	21	45.42
13.	महिला एवं बाल विकास	02	3.61	05	7.10	07	10.71
14.	स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान	02	4.61	06	40.67	08	45.28
15.	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	64	1111.24	57	1427.78	121	2539.02
16.	विविध	24	124.29	37	924.11	61	1048.40
	योग	474	2,027.25	322	9,859.07	796	11,886.32

परिशिष्ट-4.7

(सन्दर्भ अनुच्छेद 4.15; पृष्ठ 147)

पेंशन के अधिक/कम भुगतान का विवरण

(₹ लाखों में)

क्र. सं.	अधिक भुगतान के कारण	2019-20 के दौरान किये अधिक भुगतान	
		मामलों की संख्या	राशि
1.	निर्धारित अवधि के समाप्त होने के पश्चात भी पारिवारिक पेंशन कम नहीं होना (राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 62)	45	80.43
2.	आश्रित के 25 वर्ष की आयु/विवाह/रोजगार प्राप्त होने के पश्चात भी पारिवारिक पेंशन को नहीं रोकना (राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 67)	01	0.69
3.	रूपान्तरण के पश्चात भी पेंशन कम नहीं होना (राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन के रूपान्तरण) नियम 1996 के नियम 28)	24	11.02
4.	पेंशनरों की मृत्यु के पश्चात भी पेंशन का भुगतान	25	14.13
5.	पेंशनरों को उनके पुनः रोजगार अवधि के दौरान मंहगाई राहत का भुगतान किया जाना (राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 164)	03	1.18
6.	पेंशन और मंहगाई राहत का स्वीकार्य दर से अधिक दर पर भुगतान किया जाना	21	11.62
7.	विविध (ग्रेच्युटी, अतिरिक्त पेंशन आदि)	40	32.15
	योग	159	151.22